

No. A-11016/02/2017-CLS-II
Government of India
Ministry of Labour & Employment

Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg,
New Delhi - 110001
Dated the 28 December, 2017

1. The Secretaries in the Central Ministries/Departments
2. The Chief Secretaries in all the States/UTs

Sub: Filling up the post of Presiding Officer of Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Bangalore.

Sir,

I am directed to say that the post of Presiding Officer of Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court (CGIT-cum-LC) at Bangalore to be filled up shortly in terms of provisions of The Tribunal, Appellate Tribunal and other Authorities (Qualification, Experience, and other Conditions of Service of Members) Rules, 2017. A copy of Notification of the said rules i.e. No. G.S.R. 514 (E), dated 01.06.2017 is enclosed as **Annexure-I**.

2. The terms and conditions of appointment for the post of Presiding Officer in CGIT-cum-Labour Court will be as per Tribunal, Appellate Tribunal and other Authorities (Qualification, Experience, and other conditions of service of Members) Rules, 2017 as notified vide G.S.R. 514 (E), dated 01.06.2017.

3. It is requested that names of officers who are willing to be appointed as Presiding Officer of CGIT-cum-LC at Bangalore and fulfill the eligibility conditions as per Notification No. G.S.R. 514 (E), dated 01.06.2017, may please be sent to this Ministry within a period of one month from the date of issue of this letter. Details of each officer in three (03) proformae (**Annexure-II, III & IV**) is to be appended to each application. A check-list (copy placed at **Annexure-II** regarding the documents/copies enclosed may be sent with each application. The Bio-Data of each of the officers may be furnished in the proforma placed at **Annexure-III** to be filled in by the concerned officer and **attested by the Officer not below the rank of Deputy Secretary/Director**. The nomination of each of the officers may be forwarded along with an abstract of ACRs (if applicable to the officer) of the last five years duly certified in the proforma placed at **Annexure-IV**, along with the ACR dossiers and vigilance clearance (if applicable to the officer).

Contd....p/2

4. It is requested that a panel of names of Officers who fulfill the requirements, as mentioned above and are willing to take up the assignment on terms and conditions mentioned in the enclosed Rules (Annexure-I) may please be furnished to this Ministry along with the proformae (Annexure-II, III & IV).

5. Nominations with complete proformae and verified copies of ACR dossiers (if applicable) only will be entertained by the Ministry.

6. This Circular may be given wide publicity so that more and more people apply for the post.

Yours faithfully,




(Ajay Malik)

Under Secretary to the Government of India

Copy to:

1. Ministry of Law and Justice, Department of Legal Affairs, Shastri Bhawan, New Delhi with the request that a panel of names of Judicial Officers (retired or serving) who are willing to be appointed to the post of the Presiding Officer of the CGIT-cum-LC, Bangalore may kindly be forwarded to this Ministry.
2. All Dy. Chief Labour Commissioners (C) with the request to take up the matter with the Registrars of the High Courts concerned for wide publicity of the circular.

Encl: Annexure-I, II, III & IV.



(Ajay Malik)

Under Secretary to the Government of India

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L. -33004/99



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 442]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 1, 2017/ ज्यैष्ठ 11, 1939

No. 442]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 1, 2017/ JYAISTHA 11, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 2017

सा.का.नि. 514(अ).—केन्द्रीय सरकार, कित्त अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए निम्नलिखित नियम प्रस्तावी है, अर्थात्—

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अधिनियम, अंगीकृत अधिनियम और अन्य प्राधिकरण (सदस्यों की अर्हताएं, अनुभव और सेवा शर्तें) नियम, 2017 है।

(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

(3) वे नियम, यथास्थिति, अधिनियम, अंगीकृत अधिनियम या प्राधिकरण, जैसा कि कित्त अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की आठवीं अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट है, के अधिनियम, उपाधिनियम, पीठामील अधिकारी, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विरोधक सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व सदस्य, तकनीकी सदस्य, सदस्य को लागू होंगे।

2. परिभाषाएँ.—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ में अन्वया अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से कित्त अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की आठवीं अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट अधिनियम अभिप्रेत है।

(ख) "लेखा सदस्य", "प्रशासनिक सदस्य", "न्यायिक सदस्य", "विरोधक सदस्य", "विधि सदस्य", "राजस्व सदस्य" या "तकनीकी सदस्य" से, यथास्थिति, अधिनियम, अंगीकृत अधिनियम या प्राधिकरण का अधिनियम के सम्बन्धी उपबन्धों के अर्थात् विद्युत् लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विरोधक सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व सदस्य या तकनीकी सदस्य अभिप्रेत है।

(ग) "अंगीकृत अधिनियम", "प्राधिकरण" या "अधिकरण" का वही अर्थ है, जो उनका अधिनियम के सम्बन्धी उपबन्धों में है।

(घ) "अध्यक्ष" में अधिनियम के तत्त्वानी उपबन्धों के अर्थात् नियुक्त, पदान्धिनि, अधिकरण, अर्थात् अधिकरण या प्राधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(ङ) "सदस्य" में सेवा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेष सदस्य, राजस्व सदस्य या तकनीकी सदस्य या सदस्य अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत, पदान्धिनि, प्रतिभुति अर्थात् अधिकरण का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठानी अधिकारी या उपाध्यक्ष है ;

(च) "पीठानी अधिकारी" में भारतीय प्रतिभुति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 15क के अर्थात् नियुक्त प्रतिभुति अर्थात् अधिकरण का पीठानी अधिकारी, बैंको और वित्तीय संस्थाओं को शोध कृत बसुली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) की धारा 4 की उपधारा (1) के अर्थात् नियुक्त कृत बसुली अधिकरण का पीठानी अधिकारी और केंद्रीय सरकार द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क की उपधारा (1) के अर्थात् नियुक्त औद्योगिक अधिकरण का पीठानी अधिकारी अभिप्रेत है ;

(छ) "श्रीजर्वाल-सह-चयन समिति" में नियम 4 में निर्दिष्ट श्रीजर्वाल-सह-चयन समिति अभिप्रेत है ;

(ज) "उपाध्यक्ष" में, पदान्धिनि, अधिकरण, अर्थात् अधिकरण या प्राधिकरण का उपाध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(झ) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, प्रथमः वही अर्थ होंगे जो उनका संबंधित अधिनियमों में है ।

3. सदस्य की नियुक्ति के लिए अर्हताएँ.—पदान्धिनि, अधिकरण, अर्थात् अधिकरण, प्राधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठानी अधिकारी, सेवा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेष सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व सदस्य, तकनीकी सदस्य या सदस्य की नियुक्ति के लिए अर्हताएँ यह होंगी, जो इन नियमों में उपाध्यक्ष अनुसूची के स्लैब (3) में निर्दिष्ट हैं ।

4. शर्तों की सद्दति.—(1) पदान्धिनि, अधिकरण, अर्थात् अधिकरण, प्राधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठानी अधिकारी, सेवा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेष सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व सदस्य या तकनीकी सदस्य या सदस्य की नियुक्ति पदान्धिनि, अधिकरण, अर्थात् अधिकरण या प्राधिकरण के सदस्य में उक्त अनुसूची के स्लैब (4) में निर्दिष्ट श्रीजर्वाल-सह-चयन समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सरकार द्वारा की जाएगी ।

(2) उन प्रधान-विभाग, जिनके अर्थात् पदान्धिनि, अधिकरण, अर्थात् अधिकरण, प्राधिकरण का गठन किया जाता है या स्थापित किया जाता है, का संबंध, भारत सरकार श्रीजर्वाल-सह-चयन समिति पर संबंधित होगा ।

(3) श्रीजर्वाल-सह-चयन समिति अपनी सिफारिश करने के लिए अपनी प्रक्रिया अवधारित करेगी ।

(4) अधिकरण, अर्थात् अधिकरण या प्राधिकरणों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठानी अधिकारी, सेवा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेष सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व सदस्य या तकनीकी सदस्य या सदस्य की नियुक्ति केवल इस कारण से ही अविधिमान्य नहीं होगी कि श्रीजर्वाल-सह-चयन समिति या चयन समिति में कोई निमित्त या अनुपस्थिति है ।

(5) इस नियम की कोई बात, पदान्धिनि, अर्थात् अधिकरण, अधिकरण या प्राधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठानी अधिकारी, सेवा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेष सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व सदस्य या तकनीकी सदस्य या सदस्य, जो इन नियमों के प्रावधान होने से ठीक पूर्व इस रूप में कार्य कर रहा है, को लागू नहीं होगी ।

5. बिकल्पक दृष्टया योज्यता.—किसी व्यक्ति को, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त निर्दिष्ट किसी प्राधिकारी द्वारा बिकल्पक दृष्टया योग्य घोषित न कर दिया जाए, अधिकरण, अर्थात् अधिकरण या प्राधिकरण का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठानी अधिकारी, सेवा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेष सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व सदस्य या तकनीकी सदस्य या सदस्य नियुक्त नहीं किया जाएगा ।

6. किसी सदस्य द्वारा त्यागपत्र.—कोई सदस्य, केंद्रीय सरकार को संबन्धित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा किसी भी समय पर से त्यागपत्र दे सकता

परन्तु सदस्य तब तक कि केंद्रीय सरकार द्वारा उसे पहले पर छोड़ने की अनुज्ञा न प्रदान की जाए, ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीन मास के अवधान तक या तब तक कि उसके उत्तराधिकारी की उस पर पर सम्पत्ति, नियुक्ति न कर दी जाए या उसकी पदावधि की समाप्ति, इनमें जो भी पूर्वगत हो, अपने पर पर बना रहेगा ।

7. सदस्य को पद में हटाना.—केन्द्रीय सरकार, उप निम्नलिखित उसके द्वारा गठित समिति की सिफारिश पर किसी सदस्य को पद में हटा सकती, जिसे

(क) दिवंगतिया, न्यायनिर्णीत किया गया है,

(ख) उसे किसी आयोग के लिए नियुक्ति दहलाया गया है, जिसमें केन्द्रीय सरकार की राय में तैयिक अधमता अवबलित है,

(ग) अवैतनिक रूप में या आतनिक रूप में सदस्य के रूप में कार्य करने में असमर्थ हो गया है,

(घ) उसने उसे विनियम या अन्य नियम अतिक्रम किया है, जिसमें सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिबन्ध प्रभाव पड़ने की संभावना है

(ङ) उसने अपनी हेतुविक्रम का इस प्रकार दुरुपयोग किया है किन्तमें उसका पद पर बने रहना लोक हित के प्रतिबन्ध हो गया है

परन्तु जहाँ किसी सदस्य को खंड (ख) में खंड (ग) में विनिर्दिष्ट किसी आधर पर हटाया जाना प्रस्तावित है तो वहाँ सदस्य को उसके विरुद्ध आरोपों की सूचना दी जाएगी और उन आरोपों के संबंध में पूरे जाने का अवसर प्रदान किया जाएगा।

परन्तु यह और कि राष्ट्रीय कंपनी अधीन अधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य को भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श में पद में हटाया जाएगा।

8. सदस्य के दुर्व्यवहार या अधमता की जांच की प्रक्रिया.—(1) यदि केन्द्रीय सरकार को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठामीन अधिकारी, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व सदस्य, तकनीकी सदस्य या सदस्य के संबंध में दुर्व्यवहार या पद के कृत्यों का पालन करने में अधमता के स्पष्ट आरंभ का अधिकथन करने की कोई निश्चित शिकायत प्राप्त होती है तो भारत सरकार का मन्त्रालय या विभाग जिसके अधीन पदास्थिति, अधिकरण, अधीन अधिकरण या प्राधिकरण गठित किया गया है या स्थापित किया गया है उसी शिकायत की प्रारंभिक मकीक्षा करेगा।

(2) यदि प्रारंभिक मकीक्षा पर, भारत सरकार का मन्त्रालय या विभाग, जिसके अधीन पदास्थिति, अधिकरण, अधीन अधिकरण या प्राधिकरण गठित किया गया है या स्थापित किया गया है, की यह राय है कि किसी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठामीन अधिकारी, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व सदस्य, तकनीकी सदस्य या सदस्य के किसी दुर्व्यवहार या अधमता की मन्त्रालय की जांच करने के लिए निवृत्त आधर है तो वह जांच मन्त्रालय के लिए निवृत्त 7 के अधीन गठित समिति को निर्देश करेगी।

(3) समिति अपने समय या उनमें और समय के भीतर, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, जांच पूरी करेगी।

(4) जांच के पूरा होने के पश्चात् समिति केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, जिसमें वह अपने निष्कर्षों और सुधार रूप में आरंभों के में प्रत्येक आरोप पर उन के लिए कारणों का और संपूर्ण मामले पर अपने प्रसंगों, जो वह ठीक समझे, का कथन करेगी।

(5) समिति निश्चित प्रक्रिया सहित, 1908 (1908 का 5) में अधिकथित प्रक्रिया से आबद्ध नहीं होगी किन्तु वह वैसागिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शित होगी और उसे अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी, जिसके अंतर्गत अपनी जांच के लिए शारीर, स्थान और समय नियंत्रण करना भी है।

9. सदस्य की पदास्थिति.—इन नियमों में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, पदास्थिति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठामीन अधिकारी, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व सदस्य, तकनीकी सदस्य या सदस्य उक्त अनुसूची के स्तर (5) में पदास्थिति अथवा के लिए पद धारण करेगा और उन शारीर में, जिनको वह पद धारण करता है में उक्त अनुसूची के स्तर (6) में पदास्थिति ऐसी आयु तक पद धारण करेगा तथा पुनः नियुक्ति का पात्र होगा।

10. आकस्मिक रिक्ति.—(1) (क) पदास्थिति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या प्रतिभूति अधीन अधिकरण के अध्यक्ष की आकस्मिक रिक्ति की दशा में केन्द्रीय सरकार को स्पष्टतम उपाध्यक्ष की नियुक्ति करने की या उसकी अनुपस्थिति में, पदास्थिति, अधिकरण, अधीन अधिकरण या प्राधिकरण के किसी एक लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व सदस्य, तकनीकी सदस्य या सदस्य को अध्यक्ष या पीठामीन अधिकारी के रूप में स्थापनापन के रूप में नियुक्त करने की शक्ति होगी।

(ख) केन्द्रीय सरकार को किसी अन्य कृष्ण कम्पनी अधीन अधिकरण के अध्यक्ष को अध्यक्ष के रूप में स्थापनापन के रूप में नियुक्त करने की शक्ति होगी और कृष्ण कम्पनी अधीन अधिकरण के पीठामीन अधिकारी के पद पर आकस्मिक रिक्ति की दशा में कृष्ण कम्पनी अधीन अधिकरण के अध्यक्ष को किसी अन्य कृष्ण कम्पनी अधीन अधिकरण के पीठामीन अधिकारी को स्थापनापन पीठामीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की शक्ति होगी।

11. वेतन और बरत.—(1) यथास्थिति, अधिकारण, अर्थात् अधिकरण या प्राधिकरण का अध्यक्ष या प्रतिभूति अर्थात् अधिकरण को 2,50,000/- रुपया (द्विपञ्च) और केंद्रीय सरकार के समान वेतन वाला परधान्य करने वाले अधिकारी को अनुज्ञेय अल्प भत्ते और कावची का मदाव किया जाएगा।

(2) यथास्थिति, उपाध्यक्ष, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व सदस्य, तकनीकी सदस्य या सदस्य को 2,25,000/- रुपया के वेतन का मदाव किया जाएगा और वह भारत सरकार के समान वेतन वाला परधान्य करने वाले समूह के अधिकारी को अनुज्ञेय भत्तों को प्राप्त करने का हकदार होगा।

(3) केंद्रीय सरकार द्वारा गठित कृष्ण समूची अधिकरण के पीठामीन अधिकारी या औद्योगिक अधिकरण के पीठामीन अधिकारी को 1,44,200-2,18,200/- रुपया के वेतन का मदाव किया जाएगा और वह भारत सरकार के समान वेतन वाला परधान्य करने वाले समूह के अधिकारी को अनुज्ञेय भत्तों को प्राप्त करने का हकदार होगा।

(4) यथास्थिति, किन्हीं व्यक्तियों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठामीन अधिकारी, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व सदस्य, तकनीकी सदस्य या सदस्य के रूप में नियुक्ति पर, जो किन्हीं वेतन को प्राप्त करता है तो ऐसे व्यक्तियों के वेतन को उसके द्वारा अर्जित वेतन की संख्या तक कम कर दिया जाएगा।

12. वेतन, उपदान और भविष्य निधि.—(1) उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय या किन्हीं अधिकरण के वेतन न्यायिक सदस्य या भारतवर्ष विधिक सेवा के सदस्य या किन्हीं संगठित सेवा के सदस्य की दशा में, जिसकी नियुक्ति प्रतिभूति अर्थात् अधिकरण के अध्यक्ष या पीठामीन अधिकारी के रूप में की जाती है तो, यथास्थिति, अधिकरण, अर्थात् अधिकरण या प्राधिकरण में की गई सेवा को उस सेवा के नियमों के अनुसार, जिससे वह मजबूत रहता है, वेतन के लिए गणना में लिया जाएगा और वह माधान्य भविष्य निधि (केंद्रीय संस्था) नियम, 1960 और अभिदायी वेतन प्रणाली के उपबंधों द्वारा प्रभावित होगा।

(2) सभी अन्य मामलों में लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व सदस्य, तकनीकी सदस्य या सदस्य अभिदायी भविष्य निधि (भारत) नियम, 1962 और अभिदायी वेतन प्रणाली के उपबंधों द्वारा प्रभावित होगा।

(3) यथास्थिति, अधिकरण, अर्थात् अधिकरण या प्राधिकरण में की गई सेवा के लिए अतिरिक्त वेतन और उपदान अनुज्ञेय नहीं होगा।

13. छुट्टी.—(1) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व सदस्य, तकनीकी सदस्य, पीठामीन अधिकारी या सदस्य सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए तीन दिन की अर्जित छुट्टी का हकदार होगा।

(2) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व सदस्य, तकनीकी सदस्य, पीठामीन अधिकारी या सदस्य को किन्हीं अवकाश वर्ष में आठ दिन में अधिकतम आठ छुट्टी अनुदान की जाएगी।

(3) छुट्टी के दौरान छुट्टी वेतन केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के नियम 40 द्वारा प्रभावित होगा।

(4) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठामीन अधिकारी, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व सदस्य, तकनीकी सदस्य या सदस्य इस अर्थ के अधीन रहते हुए कि अधिकतम छुट्टी संचयीकरण, जिसके अंतर्गत पूर्व सेवा में सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त रकम भी है, उसके धारक में जमा अर्जित छुट्टी के संबंध में छुट्टी के संचयीकरण का हकदार होगा कि उसके द्वारा प्राप्त रकम केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के अधीन चिह्नित सीमा से अधिक नहीं होगा।

14. छुट्टी संभूर करने वाला प्राधिकारी.—(1) निम्नलिखित के लिए,—

(क) किन्हीं उपाध्यक्ष, कृष्ण समूची अधिकरण और औद्योगिक अधिकरण के पीठामीन अधिकारी, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व सदस्य, तकनीकी सदस्य या सदस्य के लिए, यथास्थिति, छुट्टी संभूर करने वाला प्राधिकारी अध्यक्ष होगा प्रतिभूति अर्थात् अधिकरण का पीठामीन अधिकारी और प्रतिभूति अर्थात् अधिकरण का होगा; और लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य या सदस्य की दशा में अध्यक्ष, प्रतिभूति अर्थात् अधिकरण के पीठामीन अधिकारी की अनुपस्थिति में केंद्रीय सरकार भी संभूरी प्राधिकारी होगी।

(ख) अध्यक्ष, प्रतिभूति अर्थात् अधिकरण का पीठामीन अधिकारी या अध्यक्ष की अनुपस्थिति की दशा में अध्यक्ष, प्रतिभूति अर्थात् अधिकरण का पीठामीन अधिकारी या अध्यक्ष के लिए केंद्रीय सरकार होगी जो लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, के लिए संभूर करने वाला प्राधिकरण भी होगा।

(2) केन्द्रीय सरकार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, तकनीकी सदस्य, पीठामीन अधिकारी या सदस्य के लिए विदेशी यात्रा हेतु मसूदा करने वाला प्राधिकरण होगा।

15. गृह किराया भत्ता.—अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठामीन अधिकारी, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, तकनीकी सदस्य या सदस्य उन्हीं दर पर गृह किराया भत्ते के हकदार होंगे, जो तत्स्थानी प्रान्तिविधि के भारत सरकार के मसूदा 'क' अधिकारी को अनुज्ञेय है।

16. परिवहन भत्ता.—अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, तकनीकी सदस्य, पीठामीन अधिकारी, सदस्य भारत सरकार की तत्स्थानी प्रान्तिविधि के मसूदा 'क' अधिकारी को वधाअनुज्ञेय सुविधाओं के अनुसार स्ट्राफ कार नियम के उपबन्धों के अनुसार आतकीय और प्राइवेट प्रयोजनों के लिए स्ट्राफ कार की सुविधा के हकदार होंगे।

17. विलीय और अन्य हितों की घोषणा.—अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व सदस्य, तकनीकी सदस्य, पीठामीन अधिकारी या सदस्य अपना पद धारण करने से पूर्व अपनी आयनों और अप्रत्यक्ष आयदायिन्वी तथा विलीय और अन्य हितों का प्रकटन करेंगे।

18. सेवा की अन्य शर्तें.—(1) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य या तकनीकी सदस्य, पीठामीन अधिकारी या सदस्य, जिसके संबंध में इन नियमों में कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं किया गया है, की सेवा के नियमों और शर्तों के तहत भारत सरकार के तत्स्थानी प्रान्तिविधि के मसूदा 'क' अधिकारी को अनुज्ञेय है।

(2) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, तकनीकी सदस्य, पीठामीन अधिकारी या सदस्य किसी अधिकरण, अर्थात् अधिकरण या प्राधिकरण के समझ, वधास्थिति, उम्र अधिकरण, अर्थात् अधिकरण या प्राधिकरण से सेवानिवृत्ति के पश्चात् व्ययमाय नहीं करेंगे।

(3) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, तकनीकी सदस्य, पीठामीन अधिकारी या सदस्य, वधास्थिति, अधिकरण, अर्थात् अधिकरण या प्राधिकरण में इन भवनाओं में कार्य करते हुए कोई माध्यम्यम् कार्य शायद नहीं लेंगे।

(4) वधास्थिति, अधिकरण, अर्थात् अधिकरण या प्राधिकरण का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठामीन अधिकारी, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व सदस्य या तकनीकी सदस्य उम्र शर्तों में, जिसको वह अपना पद धारण करना समाप्त करते हैं, में दो वर्षों की अवधि के लिए कोई नियोजन स्वीकार नहीं करेंगे या किसी व्यक्ति, जो वधास्थिति, अधिकरण, अर्थात् अधिकरण या प्राधिकरण के समझ कार्यवाहियों में पक्षकार था, के प्रचरण या प्रशासन में संलग्न नहीं होंगे।

परंतु इन नियमों में अंतर्निहित कोई बात केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या किसी कानूनी निकाय या किसी केन्द्रीय, राज्य या प्रादेशिक अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी कानूनी प्राधिकरण या निगम या कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड 45 में वधापरिभाषित किसी सरकारी कंपनी के अधीन किसी नियोजन को लागू नहीं होगी।

19. पद और गोपनीयता की शपथ.—अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, तकनीकी सदस्य, पीठामीन अधिकारी या सदस्य के रूप में नियुक्त व्यक्ति अपना पद धारण करने से पूर्व इन नियमों में उपबंध प्रकरण 1 और प्रकरण 2 में पद और गोपनीयता की शपथ लेना तथा हस्ताक्षर करेंगे।

20. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की पद शपथ है कि ऐसा करना आवश्यक था मसीखीन है वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संबंध में अदेश द्वारा शिथिल कर सकती है।

21. निर्वचन.—यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो उम पर केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

22. आवृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आवृत्तिना में छूट और अन्य विधायकों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इन संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, धूमपूरव सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

प्रकरण 1

(नियम 19 देखिए)

..... (अधिकरण/अर्थात् अधिकरण/प्राधिकरण का नाम) के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/पीठामीन अधिकारी/उप पीठामीन अधिकारी/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/पीठामीन अधिकारी/प्रशासनिक सदस्य/न्यायिक सदस्य/विशेषज्ञ सदस्य/विधि सदस्य/राजस्व सदस्य/तकनीकी सदस्य/सदस्य के लिए पद की शपथ का प्रकरण

में अमुक (अधिकरण/अपील अधिकरण/प्राधिकरण का नाम) के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/पीठामीन अधिकारी/उप पीठामीन अधिकारी/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/लेखा सदस्य/प्रशासनिक सदस्य/न्यायिक सदस्य/विशेषज्ञ सदस्य/विधि सदस्य/राजस्व सदस्य/तकनीकी सदस्य/सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने पर

ईश्वर की शपथ लेता हूँ/मन्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं भ्रष्टापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से (अधिकरण/अपील अधिकरण/प्राधिकरण का नाम) के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/पीठामीन अधिकारी/उप पीठामीन अधिकारी/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/लेखा सदस्य/प्रशासनिक सदस्य/न्यायिक सदस्य/विशेषज्ञ सदस्य/विधि सदस्य/राजस्व सदस्य/तकनीकी सदस्य/सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों का अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से भय या पराधात, अनुराग या द्वेष के बिना निर्वहृत करूँगा और मैं सविधान और देश की विधियों की बर्बादी को ब्रह्माणू रूढ़्या।

[अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/पीठामीन अधिकारी/उप पीठामीन अधिकारी/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/लेखा सदस्य/प्रशासनिक सदस्य/न्यायिक सदस्य/विशेषज्ञ सदस्य/विधि सदस्य/राजस्व सदस्य/तकनीकी सदस्य/सदस्य (अधिकरण/अपील अधिकरण/प्राधिकरण का नाम)]

प्रारूप 2

(निचम 19 देखिए)

..... (अधिकरण/अपील अधिकरण/प्राधिकरण का नाम) के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/पीठामीन अधिकारी/उप पीठामीन अधिकारी/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/लेखा सदस्य/प्रशासनिक सदस्य/न्यायिक सदस्य/विशेषज्ञ सदस्य/विधि सदस्य/राजस्व सदस्य/तकनीकी सदस्य/सदस्य के लिए गोपनीयता की शपथ का प्रारूप

में अमुक (अधिकरण/अपील अधिकरण/प्राधिकरण का नाम) के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/पीठामीन अधिकारी/उप पीठामीन अधिकारी/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/पीठामीन अधिकारी/सदस्य की रूप में नियुक्त किए जाने पर ईश्वर की शपथ लेता हूँ/मन्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि जो विषय, विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञान होगा उसे किसी व्यक्तियों को तब के विचार अथवा मुझे (अधिकरण/अपील अधिकरण/प्राधिकरण का नाम) के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/पीठामीन अधिकारी/उप पीठामीन अधिकारी/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/लेखा सदस्य/प्रशासनिक सदस्य/न्यायिक सदस्य/विशेषज्ञ सदस्य/विधि सदस्य/राजस्व सदस्य/तकनीकी सदस्य/सदस्य के रूप में विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञान होगा उसे किसी व्यक्तियों को तब के विचार अथवा मुझे अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/पीठामीन अधिकारी/उप पीठामीन अधिकारी/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/पीठामीन अधिकारी/सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक् निर्वहृत के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को संसूचित नहीं करूँगा या प्रकट नहीं करूँगा।

[अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/पीठामीन अधिकारी/उप पीठामीन अधिकारी/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/लेखा सदस्य/प्रशासनिक सदस्य/न्यायिक सदस्य/विशेषज्ञ सदस्य/विधि सदस्य/राजस्व सदस्य/तकनीकी सदस्य/सदस्य (अधिकरण/अपील अधिकरण/प्राधिकरण का नाम)]

अनुसूची

क्रम नं.	अधिकरण, अपील अधिकरण या प्राधिकरण का नाम	अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठामीन अधिकारी, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, तकनीकी सदस्य या सदस्य की नियुक्ति के लिए अर्हता	संघीय-सह-सचिव सचिब की संरचना	पदावधि	पदावधि करने के लिए अधिकतम आयु (वर्ष में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	केंद्रीय सरकार द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण	कोई सदस्य पीठामीन अधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा,— (क) यदि वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं है, या नहीं रहा है या न्यायाधीश होने के लिए अर्हित नहीं है या (ख) वह तीन वर्षों में अनुसूचित अवधि के लिए जिला न्यायाधीश या अपर जिला	संघीय-सह-सचिव सचिब की संरचना (1) केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला व्यक्ति— अध्यक्ष (ii) सचिव, भारत सरकार, धर्म और राजस्व विभाग— सदस्य (iii) केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट	तीन वर्ष	पीठामीन अधिकारी— दस वर्ष

		<p>न्यायाधीश रहा है; या</p> <p>(ग) वह योग्य, मन्वलिष्ट और अनुभवी व्यक्ति है तथा उसे बीस वर्ष से अनुभूत का अधीनस्थ, कारभार, आगिन्य, विधि, विन्य, प्रबन्धन, उद्योग, सार्वजनिक मामले, प्रशासन, प्रेम मन्थन, औद्योगिक विवाद या किसी अन्य विवाद का विवाद हल और व्यवसायिक अनुभव है जो केन्द्रीय सरकार की तय से औद्योगिक अधिकरण के लिए उपयोग हो सकता है।</p>	<p>किया जाने वाला मन्त्रि, भारत सरकार - सदस्य</p> <p>(iv) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाले दो विशेषज्ञ - सदस्य</p>		
2	<p>आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन आय-कर अधीन अधिकरण</p>	<p>(1) कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हित नहीं होगा, जब तक वह किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं है, जिसने किसी उच्च न्यायालय में या आय-कर अधीन अधिकरण के उपाध्यक्ष के रूप में सात वर्ष से अनुभूत सेवा नहीं कर ली है।</p> <p>(2) केन्द्रीय सरकार आय-कर अधीन अधिकरण के एक या अधिक सदस्यों को, यथानिधिनि, उसका उपाध्यक्ष या उपाध्यक्ष नियुक्त कर सकती।</p> <p>(3) न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए कोई व्यक्ति अर्हित नहीं होगा—</p> <p>(क) उसने भारत के राज्यक्षेत्र में कम से कम दस वर्षों के लिए न्यायिक पद धारण नहीं किया है; या</p> <p>(ख) वह भारतीय विधिक सेवा का सदस्य नहीं है और उसने सेवा के पद 2 या किसी समतुल्य या उच्चतर पद पर कम से कम तीन वर्षों की सेवा की है; या</p> <p>(ग) वह कम से कम दस वर्षों के लिए अधिवक्ता नहीं रहा है।</p> <p>(4) कोई व्यक्ति सेवा सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा,—</p> <p>(i) उसने कम से कम दस वर्षों का सेवाकर्म का व्यवसाय नहीं किया है;</p> <p>(क) वह चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) के अधीन चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है; या</p> <p>(ख) वह औपचारिक रूप से प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत सेवाकार है या भारत सेवा</p>	<p>अ. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद के लिए के लिए सौजरीन-मह-चयन समिति:</p> <p>(i) भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला उच्चतम न्यायालय का आजीव न्यायाधीश - अध्यक्ष</p> <p>(ii) अध्यक्ष, आय-कर अधीन अधिकरण - सदस्य और</p> <p>(iii) मन्त्रि, विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) - सदस्य</p> <p>आ. सेवा सदस्य और न्यायिक सदस्य के लिए सौजरीन-मह-चयन समिति:</p> <p>(i) विधि और न्याय मंत्री का नामनिर्दिष्टी - अध्यक्ष</p> <p>(ii) मन्त्रि, विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) - सदस्य</p> <p>(iii) अध्यक्ष, आय-कर अधीन अधिकरण - सदस्य और</p> <p>(iv) दो से अधिक कोई अन्य व्यक्ति, यदि कोई हो, जैसा विधि और न्याय मंत्री नियुक्त करे।</p>	तीन वर्ष	<p>अध्यक्ष -</p> <p>दस वर्ष</p> <p>उपाध्यक्ष -</p> <p>सामय वर्ष</p> <p>सदस्य -</p> <p>सामय वर्ष</p>

		<p>संश्लेषित लेखाकार है और भारत: सार्वभौमिक अधिकार है: या</p> <p>(ii) वह भारतीय राजस्व सेवा (आय-कर सेवा समूह 'क') का सदस्य रहा है और उसने अपने आयुक्त आय-कर या किसी समतुल्य या उच्चतर पद पर कम से कम तीन वर्ष की सेवा की है।</p>			
3	सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अधीन सीमाशुल्क, उत्पाद-शुल्क और सेवा कर अधीन अधिकरण	<p>(1) कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हित नहीं होगा:</p> <p>(क) वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है: या</p> <p>(ख) वह अधीन अधिनियम का सदस्य है।</p> <p>(2) कोई सदस्य न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हित नहीं होगा—</p> <p>(क) उसने भारत के राजस्व में कम से कम दस वर्षों के लिए न्यायिक पद धारण नहीं किया है: या</p> <p>(ख) वह भारतीय सिविल सेवा का सदस्य नहीं है और उसने सेवा के छह 1 या किसी समतुल्य या उच्चतर पद पर कम से कम तीन वर्षों की सेवा की है: या</p> <p>(ग) वह कम से कम दस वर्षों के लिए अधिकतर नहीं रहा है।</p> <p>(3) कोई व्यक्ति तकनीकी सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हित नहीं होगा यदि वह भारतीय राजस्व (सीमाशुल्क और केंद्रीय उत्पाद-शुल्क सेवा समूह 'क') का सदस्य न हो और उसने आयुक्त सीमाशुल्क या केंद्रीय उत्पाद-शुल्क या किसी समतुल्य या उच्चतर पद पर कम से कम तीन वर्षों की सेवा नहीं की है।</p>	<p>(अ) अध्यक्ष के पद के लिए खोजबीन-सह-चयन समिति—</p> <p>(i) भारत का मुख्य न्यायमूर्ति या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश जैसा कि भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए - अध्यक्ष</p> <p>(ii) सचिव, भारत सरकार, राजस्व विभाग - सदस्य</p> <p>(iii) सचिव, भारत सरकार, सिविल कार्य विभाग - सदस्य</p> <p>(iv) सचिव, भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग - सदस्य</p> <p>(आ) न्यायिक सदस्य के लिए खोजबीन-सह-चयन समिति—</p> <p>(i) उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश जैसा कि भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए - अध्यक्ष</p> <p>(ii) सचिव, भारत सरकार, विल सहायक, (राजस्व विभाग) - सदस्य</p> <p>(iii) सचिव, भारत सरकार, सिविल और न्याय सहायक (सिविल कार्य विभाग) - सदस्य</p> <p>(iv) अध्यक्ष, सीमाशुल्क उत्पादशुल्क और सेवा कर अधीन अधिकरण - सदस्य; और</p> <p>(v) दो से अधिक ऐसे अन्य सदस्य, जो केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएं - सदस्य</p> <p>उ. तकनीकी सदस्य के लिए खोजबीन-सह-चयन समिति</p> <p>(i) सचिव, भारत सरकार - सदस्य</p> <p>(ii) सचिव, भारत सरकार, विल सहायक, (राजस्व विभाग) - सदस्य</p> <p>(iii) सचिव, भारत सरकार, कार्मिक,</p>	तीन वर्ष	अध्यक्ष - सदस्य - सदस्य - सदस्य - सदस्य -

			<p>लोक शिक्षायाल और पेशवा मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) - सदस्य</p> <p>(iv) सचिव, भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) - सदस्य।</p>		
4.	<p>नयका-डीन-विदेशी मुद्रा एनलाउडर (मसलिन मध्यप्रकरण) अधिनियम 1976 (1976 का 13) के अर्धीन अर्धीन अधिकरण</p>	<p>(1) अर्धीन अधिकरण का अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होगा जो उच्चतर न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या न्यायाधीश रहा है या न्यायाधीश होने के लिए अर्हीन है।</p> <p>(2) अर्धीन अधिकरण का सदस्य ऐसा व्यक्ति होगा जो भारत सरकार के मन्तु सचिव की पनि व सीने का न हो।</p>	<p>(अ) अध्यक्ष पद के लिए खोजबीन-सह-चयन समिति -</p> <p>(i) भारत के मुद्रा न्यायमूर्ति या भारत के मुद्रा न्यायमूर्ति द्वारा यथा नामनिर्दिष्ट भारत के उच्चतर न्यायालय का न्यायाधीश-अध्यक्ष</p> <p>(ii) सचिव, भारत सरकार, राजस्व विभाग - सदस्य,</p> <p>(iii) सचिव, भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग - सदस्य,</p> <p>(iv) सचिव, भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग - सदस्य</p> <p>(आ) सदस्य के पद के लिए खोजबीन-सह-चयन समिति -</p> <p>(i) सचिव, भारत सरकार - अध्यक्ष</p> <p>(ii) सचिव, भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग - सदस्य</p> <p>(iii) सचिव, भारत सरकार, राजस्व विभाग - सदस्य,</p> <p>(iv) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले भारत सरकार के दो सचिव</p>	<p>सीन वर्ग</p>	<p>अध्यक्ष - पैमट वर्ग</p> <p>सदस्य - कार्य वर्ग</p>
5.	<p>प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) के अर्धीन केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण</p>	<p>1. कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए नहीं अर्हीन होगा जब यह -</p> <p>(क) किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, या रहा है या न्यायाधीश होने के लिए अर्हीन है, या</p> <p>(ख) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण से प्रशासनिक सदस्य या न्यायिक सदस्य के रूप में सीन वर्ग से अनुमति अधि के लिए पद धारण किया है।</p> <p>(ग) योग्य, ईमानदार और अनुभवी व्यक्ति है और जो अध्याय, कारका, वाणिज्य, विधि, विल, सेवाकार्य, प्रबंध, उद्योग, लोक कार्य-कलाप या</p>	<p>(अ) अध्यक्ष या न्यायिक सदस्य के पद के लिए खोजबीन-सह-चयन समिति -</p> <p>(i) भारत का मुद्रा न्यायमूर्ति या इसका नामनिर्दिष्टिनी - अध्यक्ष</p> <p>(ii) अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान न्यायापीठ - सदस्य</p> <p>(iii) सचिव, भारत सरकार कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग - सदस्य</p> <p>(iv) सचिव, भारत सरकार विधि और न्याय मंत्रालय - सदस्य</p> <p>(v) एक विशेषज्ञ, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए - सदस्य</p> <p>(आ) प्रशासनिक सदस्य के पद के</p>	<p>सीन वर्ग</p>	<p>अध्यक्ष - अउमट वर्ग</p> <p>सदस्य - पैमट वर्ग</p>

	<p>प्रशासन या कोई अन्य विषय, जो केन्द्रीय सरकार की राय में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के लिए उपयुगी है, का विशेष ज्ञान रखता हो और इनमें कम से कम तीन वर्षों का पुरानिक अनुभव रखता हो।</p> <p>2. कोई व्यक्ति—</p> <p>(क) न्यायिक मरदम्य के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब वह—</p> <p>(i) किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो, या रहा हो या उनका न्यायाधीश होने के लिए अर्हित हो, या</p> <p>(ii) जिसने भारत सरकार के विधि कार्य विभाग या विधायी विभाग के सचिव, जिसने भारत के विधि आयोग का सदस्य - सचिव भी है, का पद कम से कम एक वर्ष तक धारण किया हो, या</p> <p>(iii) जिसने भारत सरकार के विधि कार्य विभाग या विधायी विभाग का अपर सचिव का पद कम से कम दो वर्षों तक धारण किया हो, या</p> <p>(iv) जिसने भारत के राज्य स्तर में कम से कम दस वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो,—</p> <p>(ख) प्रशासनिक मरदम्य के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा,—</p> <p>(i) जब उसने भारत सरकार के सचिव का पद या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई अन्य पद कम से कम एक वर्ष तक धारण किया हो और कम से कम एक वर्ष तक ऐसे पद के वेतनमान में हो जो भारत सरकार के सचिव के वेतनमान से कम न हो, या</p> <p>(ii) जब उसने भारत सरकार के अपर सचिव का पद या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई अन्य पद कम से कम दो वर्षों तक धारण किया हो और कम से कम दो वर्षों तक ऐसे पद के वेतनमान में हो जो भारत सरकार के अपर सचिव के वेतनमान से कम न हो।</p> <p>परन्तु अखिल भारतीय सेवा के ऐसे अधिकारी, जो केन्द्रीय पतनियुक्ति पर किसी निश्चयन पद पर थे या हैं, ऐसी शर्तों से ऐसे अधिकारी को प्रोत्साहित</p>	<p>लिए प्रोजेक्शन-मह-चयन समिति—</p> <p>(i) ऐसा व्यक्ति, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए - अध्यक्ष</p> <p>(ii) अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण - सदस्य</p> <p>(iii) सचिव, भारत सरकार कर्मिक और प्रशिक्षण विभाग - सदस्य</p> <p>(iv) सचिव, भारत सरकार विधि और न्याय मंत्रालय - सदस्य</p> <p>(v) एक विशेषज्ञ, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए - सदस्य</p>		
--	---	---	--	--

		<p>शिक्षण या बालनैतिक शिक्षण, जो भी पहले हो, पर्याप्तविधि सचिव या जूनियर सचिव के रूप में हो, यदि भी पर्याप्तविधि सचिव या जूनियर सचिव का पद धारण किए हुए अथवा जूनियर और जूनियर जूनियर के पद धारण करनेवाले प्रतिनिधिक पद धारण की तारीखें उक्त कृति के प्रकाशन के लिए अर्थव्यय के लिए निर्दिष्ट होंगी।</p>			
6	रेल सेवा अधिनियम 1987 (1987 का 54) के अधीन रेल सेवा अधिनियम	<p>1. कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए तैयार अर्हता होगा जब वह -</p> <p>(क) किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है या उनका न्यायाधीश होने के लिए अर्हता है; या</p> <p>(ख) पर्याप्तविधि, उपाध्यक्ष, न्यायिक सदस्य या तकनीकी सदस्य के रूप में कम से कम तीन वर्षों की अवधि के लिए पद धारण किया है; या</p> <p>(ग) योग्य, ईमानदार और अनुभवी व्यक्ति हो तथा रेल में सम्बन्धित दायों और वाणिज्यिक विषयों की विशेष जानकारी रखता है और उसके काम में कम से कम पांच वर्षों का वृत्तिक अनुभव रखता हो।</p> <p>2. कोई व्यक्ति उपाध्यक्ष (न्यायिक) के रूप में नियुक्ति के लिए तैयार अर्हता होगा जब वह -</p> <p>(क) किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है या उसके न्यायाधीश होने के लिए अर्हता है; या</p> <p>(ख) भारतीय विधि सेवा का सदस्य रहा है और उस सेवा की श्रेणी 3 का पद या कोई उच्चतर पद कम से कम पांच वर्षों तक धारण किया है; या</p> <p>(ग) कम से कम पांच वर्षों की अवधि के लिए कोई निम्न न्यायिक पद धारण किया है जिसका वेतनमान भारत सरकार के समुक्त सचिव के वेतनमान से कम नहीं है; या</p> <p>(घ) न्यायिक सदस्य के रूप में कम से कम तीन वर्षों की अवधि के लिए पद धारण किया है।</p> <p>3. कोई व्यक्ति उपाध्यक्ष (तकनीकी) के रूप में नियुक्ति के लिए तैयार अर्हता होगा जब वह -</p> <p>(क) कम से कम तीन वर्षों की अवधि के लिए तकनीकी सदस्य के रूप में पद धारण किया हो; या</p>	<p>(अ) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष (न्यायिक) या सदस्य (न्यायिक) के पद के लिए निम्नलिखित में मिलकर बनी जूनियर समिति -</p> <p>(i) भारत का मुख्य न्यायाधीश या उनका नामनिर्दिष्टी - अध्यक्ष;</p> <p>(ii) अध्यक्ष रेल बोर्ड/सदस्य (पालाघात रेल बोर्ड) - सदस्य;</p> <p>(iii) सचिव, भारत सरकार, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाए - सदस्य;</p> <p>(iv) रेल से विशेषज्ञ, जिसको केन्द्रीय सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले रेल में सम्बन्धित दायों या वाणिज्यिक विषयों की जानकारी और अनुभव हो - सदस्य।</p> <p>(आ) उपाध्यक्ष (तकनीकी) या सदस्य (तकनीकी) के पद के लिए जूनियर-हाइ-कैपेबल समिति -</p> <p>(i) ऐसा व्यक्ति, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाए - अध्यक्ष;</p> <p>(ii) अध्यक्ष, या सदस्य (पालाघात) रेल बोर्ड/सदस्य - सदस्य;</p> <p>(iii) सचिव, भारत सरकार, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाए - सदस्य;</p> <p>(iv) रेल में सम्बन्धित दायों और वाणिज्यिक विषयों की जानकारी और अनुभव रखने वाले दो विशेषज्ञ, जो केन्द्रीय सरकार नाम निर्दिष्ट किए जाए - सदस्य</p>	<p>सीनियर जूनियर</p> <p>अध्यक्ष - सदस्य वर्ष</p> <p>उपाध्यक्ष - वरिष्ठ वर्ष</p> <p>सदस्य - सामान्य वर्ष</p>	

		<p>(घ) कम से कम पांच वर्ष तक सेवा पर धारण किया है जिसका वेतनमान भारत सरकार के संयुक्त सचिव के वेतनमान से कम नहीं है और जिसे एक से सम्बन्धित बाह्य और वाणिज्यिक विषयों के नियमों और प्रक्रियाओं का पर्याप्त ज्ञान है और इनमें पर्याप्त अनुभव रखता है।</p> <p>4. कोई व्यक्ति न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए नहीं अर्हित होगा जब वह—</p> <p>(क) किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है या उनका न्यायाधीश होने के लिए अर्हित है, या</p> <p>(घ) जिसने भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम दस वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया है।</p> <p>5. कोई व्यक्ति लकनौकी सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए नहीं अर्हित होगा जब वह—</p> <p>योग्य और ईमानदार तथा अनुभवी व्यक्ति है और एक से सम्बन्धित वाणिज्यिक विषयों के नियमों और प्रक्रियाओं का विशेष ज्ञान रखता हो और उनमें कम से कम पञ्चम वर्ष का अनुभव रखता हो।</p>		
<p>7.</p>	<p>भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के अधीन प्रतिभूति अपील अधिकरण</p>	<p>1. कोई व्यक्ति प्रतिभूति अपील अधिकरण के पीठामीन अधिकारी या न्यायिक सदस्य या लकनौकी सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए नहीं अर्हित होगा जब वह—</p> <p>(क) पीठामीन अधिकारी के मामले में कम से कम पांच वर्ष तक उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है।</p> <p>(घ) न्यायिक सदस्य के मामले में कम से कम पांच वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है, या</p> <p>(ग) लकनौकी सदस्य के मामले में—</p> <p>(i) केन्द्रीय सरकार के अध्याय या विभाग में अपर सचिव या सचिव है</p>	<p>(अ). अधिकरण का पीठामीन अधिकारी और न्यायिक सदस्य की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश या उसके सामनिदेशिनी के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाएगी।</p> <p>(आ). लकनौकी सदस्य के पद के लिए शीजरीज-मह-बचन समिति—</p> <p>(i) पीठामीन अधिकारी, प्रतिभूति अपील अधिकरण - अध्यक्ष</p> <p>(ii) सचिव, भारत सरकार आर्थिक कार्य विभाग - सदस्य</p> <p>(iii) सचिव, भारत सरकार वित्तीय सेवा विभाग - सदस्य</p> <p>(iv) सचिव, भारत सरकार विद्यार्थी विभाग या विधि कार्य विभाग - सदस्य</p>	<p>तीस वर्ष</p> <p>पीठामीन अधिकारी - सत्र वर्ष</p> <p>सदस्य सत्रमठ वर्ष</p>

		<p>या रहा है या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार में कोई सम्बन्धित पद धारण कर रहा है या</p> <p>(iii) साक्षिण योग्य ईमानदार और अनुभव वाला व्यक्ति, जिसको विनीय मैजिस्ट्रेट, जिसके अन्तर्गत प्रतिभूति काजान या पेशान निधि या समुद्र व्युत्पन्न या बीमा भी है, में विशेष ज्ञान रखता है और उसमें कम से कम पंद्रह वर्षों का वृत्तिक अनुभव रखता हो।</p> <p>2. बोर्ड या बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण या पेशान निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण का कोई सदस्य या अंगकालिक सदस्य या बोर्ड में या ऐसे प्राधिकरणों में कार्यपालक निदेशक के सम्बन्धित ज्येष्ठ प्रबंध-स्तर पर कोई व्यक्ति अपनी सेवा या कार्यकाल के दौरान प्रतिभूति अर्पित अधिकारण का पीठानी अधिकारी या सदस्य के रूप में, सहायिका, जैसे बोर्ड या ऐसे प्राधिकरणों को उन रूप में या उस मारीच में, जिसको वह बोर्ड में या ऐसे प्राधिकरणों में उस रूप में पद पर नहीं रह जाना है, में दो वर्षों के भीतर नियुक्त नहीं किया जाएगा।</p> <p>3. प्रतिभूति अर्पित अधिकारण का पीठानी अधिकारी या सदस्य ऐसा व्यक्ति होगा जो ऐसा बोर्ड विनीय या अन्य जित नहीं रखता है जिसमें पीठानी अधिकारी या सदस्य के रूप में उनके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है।</p>			
8.	बैंकों और विनीय सम्पाओं को शांश ऋण समुनी अधिनियम, 1993 (1993 का 51) के अधिन ऋण समुनी अधिनियम	<p>कोई व्यक्ति ऋण समुनी अधिनियम के पीठानी अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए नहीं अर्हिन होगा जब वह:-</p> <p>(क) जिना न्यायाधीश है या रहा है या जिना न्यायाधीश होने के लिए अर्हिन है, या</p> <p>(ख) योग्य, ईमानदारी और अनुभवी व्यक्ति है और अर्थशास्त्र, कागजार, वाणिज्य, विधि, वित्त, लेखाकार्य, प्रबंध, उद्योग, लोक, कार्य-कारण, प्रशासन, बैंककारी, ऋण समुनी या कोई अन्य विषय, जो केन्द्रीय सरकार की रूप में ऋण समुनी अधिनियम के लिए उपयोगी हो, में विशेष ज्ञान रखता हो और उसमें कम से कम बीस वर्षों का और उसमें अनुभव रखता हो।</p>	<p>ऋण समुनी अधिनियम के पीठानी अधिकारी के पद के लिए खोजबीन-बहु-सचन समिति:-</p> <p>(i) भारत का मुख्य न्यायधुरिण या उभका नामनिर्देशनी - अध्यक्ष,</p> <p>(ii) मन्त्रि, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (सांखिक कार्य विभाग) - सदस्य,</p> <p>(iii) मन्त्रि, भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय - सदस्य,</p> <p>(iv) भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर या भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर द्वारा नामनिर्दिष्ट रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर - सदस्य; और</p> <p>(v) मन्त्रि, भारत सरकार, जय</p>	तीन वर्ष	पीठानी अधिकारी - दस वर्ष

9.	बैंकों और चिनीय संस्थाओं को शोध ऋण वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) के अर्धीन ऋण वसूली अधिकरण	1. कोई व्यक्ति अध्याय के रूप में नियुक्ति के लिए तैयार अर्हीन होगा जब वह - (क) किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है या उसका न्यायाधीश होने के लिए अर्हीन है, या (ख) भारतीय विधि सेवा का सदस्य रहा है और उस सेवा की धरोड़ी 1 में पर धारण किया है, या (ग) ऋण वसूली अधिकरण के वीटानीन अधिकारी के रूप में कम से कम तीन वर्ष तक पर धारण किया है।	सचिव भारत सरकार, वित्त मंत्रालय चिनीय सेवा विभाग - सदस्य ऋण वसूली अर्धीन अधिकरण के अध्याय के लिए खोजबीन-मह-चयन समिति - (i) भारत का मुख्य न्यायमूर्ति या उसका नामनिर्देशिनी - अध्याय (ii) सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (अर्थिक कार्य विभाग) - सदस्य (iii) सचिव, भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय - सदस्य (iv) भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर या भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर द्वारा नामनिर्देशित भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर - सदस्य, और (v) सचिव, भारत सरकार या अन्य सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, चिनीय सेवा विभाग - सदस्य	तीन वर्ष	अध्याय - सत्र वर्ष
10.	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 (1994 का 55) के अर्धीन विमानपत्तन अर्धीन अधिकरण	कोई व्यक्ति अध्याय के रूप में नियुक्ति के लिए तैयार होगा जब वह - (क) किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है या उसका न्यायाधीश होने के लिए अर्हीन है, या (ख) योग्य, ईमानदार और अनुभवी व्यक्ति है और अर्थशास्त्र, वाणिज्य, विधि, वित्त, लेखाकर्म, प्रबंध, उद्योग, लोक कार्य-कलाप, प्रशासन या किसी अन्य विषय, जो केन्द्रीय सरकार की रूप में अर्धीन अधिकरण के लिए उपयोगी है, का विशेष ज्ञान रखता हो और उनमें कम से कम पचस वर्ष की वृत्तिक अनुभव रखता हो।	विमानपत्तन अर्धीन अधिकरण के अध्याय पर के लिए खोजबीन-मह-चयन समिति - (i) ऐसा व्यक्ति, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाए - अध्याय (ii) सचिव, भारत सरकार सार्व विमानन मंत्रालय - सदस्य (iii) सचिव, भारत सरकार, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाए - सदस्य (iv) ऐसे दो विशेषज्ञ हैं जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित किए जाए - सदस्य	तीन वर्ष	अध्याय - बालक वर्ष
11.	भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) के अर्धीन दूरसंचार विचार विधदान और अर्धीन अधिकरण	1. कोई व्यक्ति अध्याय के रूप में नियुक्ति के लिए तैयार होगा जब वह - (क) किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है या उसका न्यायाधीश होने के लिए अर्हीन है, या (ख) किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति है या रहा है, या (ग) उनमें सदस्य के रूप में कम से कम तीन वर्ष की अवधि के लिए पर धारण किया है, या	2. अध्याय के पर के लिए खोजबीन-मह-चयन समिति - (i) भारत का मुख्य न्यायमूर्ति या उसका नामनिर्देशिनी - अध्याय (ii) सचिव, भारत सरकार दूरसंचार विभाग - सदस्य (iii) सचिव, भारत सरकार, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाए - सदस्य	तीन वर्ष	अध्याय - चलन वर्ष सदस्य - सत्र वर्ष

		<p>(घ) योग्य ईमानदार और अनुभवी व्यक्ति है और अर्थशास्त्र, वास्तुशास्त्र, वाणिज्य, विधि, चिन, लेखाकर्म, प्रबंध, उद्योग, लोक कार्य-कारण, प्रशासन या किसी अन्य विषय, जो केन्द्रीय सरकार की राय में दूरसंचार, विद्युत, विद्युतलक्ष और अर्थात् अधिकरण के लिए उपयुक्त है, का विशेष ज्ञान रखता हो और उनसे कम से कम बीस वर्ष का वृत्तिक अनुभव रखता हो।</p> <p>2. कोई व्यक्ति सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हता होगा जब वह योग्य, ईमानदार और अनुभवी व्यक्ति है और अर्थशास्त्र, वास्तुशास्त्र, वाणिज्य, विधि, चिन, लेखाकर्म, प्रबंध, उद्योग, लोक कार्य-कारण, प्रशासन या किसी अन्य विषय, जो केन्द्रीय सरकार की राय में अर्थात् अधिकरण के लिए उपयुक्त है, का विशेष ज्ञान रखता हो और उनसे कम से कम वृत्तिक अनुभव रखता हो।</p>	<p>(iv) ऐसे दो विशेषज्ञ, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाए - सदस्य</p> <p>अ. सदस्य के पद के लिए खोजबीन-सह-चयन समिति -</p> <p>(i) ऐसा व्यक्ति, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए - अध्यक्ष</p> <p>(ii) सचिव, भारत सरकार दूरसंचार विभाग - सदस्य</p> <p>(iii) सचिव, भारत सरकार, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए - सदस्य</p> <p>(iv) ऐसे दो विशेषज्ञ, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाए - सदस्य</p>		
12.	<p>व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 (1999 का 47) के अर्धीन अर्धीन बोर्ड</p>	<p>1. कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हता होगा, जब -</p> <p>(क) वह किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है या ऐसा न्यायाधीश होने के लिए अर्हता है; या</p> <p>(ख) उसने अर्धीन बोर्ड के उपाध्यक्ष का पद तीन वर्षों में अनुभूत अवधि के लिए धारण किया है।</p> <p>2. कोई व्यक्ति उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हता होगा, जब -</p> <p>(क) वह किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है या ऐसा न्यायाधीश होने के लिए अर्हता है; या</p> <p>(ख) उसने न्यायिक सदस्य या तकनीकी सदस्य का पद दो वर्षों में अनुभूत अवधि के लिए धारण किया है और उसके पास बार में व्यवसाय का कम से कम 12 वर्षों के अनुभव या राज्य न्यायिक सेवा में 12 वर्षों के अनुभव के साथ विधि की विशेषता है।</p> <p>3. कोई व्यक्ति न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हता होगा, जब -</p> <p>(क) वह किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है या ऐसा</p>	<p>(अ). अर्धीन बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या न्यायिक सदस्य के पद के लिए खोजबीन-सह-चयन समिति :-</p> <p>(i) भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या उनका नामनिर्देशित-अध्यक्ष</p> <p>(ii) सचिव, भारत सरकार औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग-सदस्य,</p> <p>(iii) सचिव, भारत सरकार, केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला-सदस्य,</p> <p>(iv) दो विशेषज्ञ, केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाले-सदस्य।</p> <p>(आ.) अर्धीन बोर्ड के तकनीकी सदस्य (व्यापार चिह्न), तकनीकी सदस्य (पेटेंट) और तकनीकी सदस्य (प्रतिनिष्ठाधिकार) के पद के लिए खोजबीन-सह-चयन समिति :-</p> <p>(i) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला</p>	तीन वर्ष	<p>अध्यक्ष-सहसह वर्ष</p> <p>उपाध्यक्ष-द्विवर्ष वर्ष</p> <p>सदस्य-द्विवर्ष वर्ष</p>

	<p>न्यायाधीश होने के लिए अर्हित है,</p> <p>(ख) उसने भारत के राज्यक्षेत्र में किसी न्यायिक अधिकारी का पद कम से कम 10 वर्ष के लिए धारण किया है।</p> <p>4. कोई व्यक्ति तकनीकी महस्य (न्यायाधीश विद्वान) के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा, जब -</p> <p>(क) उसने कम से कम 10 वर्ष के लिए न्यायाधीश अधिनियम, 1999 (1999 का 47) के अर्हत किसी अधिकरण के कर्तव्य का निर्वहन किया है और उसने कम से कम 5 वर्ष की अवधि के लिए मजसूम मजिस्ट्राट में अनुसूच पति का कोई पद धारण किया है और उसके पास यात्र में व्यवसाय का काम से कम 12 वर्ष के अनुभव या राज्य न्यायिक सेवा में 12 वर्ष के अनुभव के साथ निधि की रिपोर्ट है, या</p> <p>(ख) वह कम से कम 10 वर्ष के लिए न्यायाधीश विद्वान विधि में सिद्ध विधि अनुभव के साथ अधिवक्ता रहा है।</p> <p>5. कोई व्यक्ति तकनीकी महस्य (न्यायाधीश विद्वान) के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा, जब -</p> <p>(क) उसने कम से कम 5 वर्ष के लिए पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39) के अर्हत कोई पद धारण किया है या उसके अर्हत नियंत्रक के कर्तव्य का निर्वहन किया है, या</p> <p>(ख) उसने कम से कम 10 वर्ष के लिए मजिस्ट्रीयुक्त पेटेंट अधिकारों के रूप में कार्यरत किया है और उसके पास न्यूनतम प्रमुख किसी विधि के अर्हत स्थापित विश्वविद्यालय में इंजीनियरी या औद्योगिकी में डिग्री या विज्ञान में मास्टर की डिग्री है।</p> <p>6. कोई व्यक्ति तकनीकी महस्य (प्रतिनिध्याधिकार) के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा, जब -</p> <p>(क) वह भारतीय विधिक सेवा का महस्य है या रहा है और उस सेवा के घट-1 में कम से कम 3 वर्ष के लिए पद धारण कर रहा है या पद धारण किया है; या</p> <p>(ख) उसने कम से कम 10 वर्ष के लिए भारत के राज्यक्षेत्र में कोई न्यायिक पद धारण किया है; या</p> <p>(ग) वह अधिकरण का महस्य है या रहा है या वह भारत सरकार के मजसूम अधिकारी में अनुसूच पति का नियुक्त सेवा का महस्य है या रहा है,</p>	<p>अनि-अध्ययन,</p> <p>(ii) मन्त्रि, औद्योगिक नीति और महस्यन विभाग-महस्य,</p> <p>(iii) मन्त्रि, भारत सरकार, केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले-महस्य,</p> <p>(iv) श्री विभाजन, केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले-महस्य।</p>		
--	---	---	--	--

		प्रतिकल्पिका के क्षेत्र में 3 वर्ष के अनुभव मलिन; या (ख) प्रतिकल्पिका विधि में निम्न विहित अनुभव के साथ कम से कम 10 वर्ष के लिए अधिवक्ता रहा है यानु अर्थात् उक्त के कम से कम एक सदस्य के पास प्रतिकल्पिका अधिनियम के प्रवर्धनों के लिए उक्त (ख), (घ) और (च) में दी गई अवकाश होगी।			
12.	कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अर्थात् राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिनियम अधिनियम	(1) अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होगा जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहे या रहा है। (2) न्यायिक सदस्य ऐसा व्यक्ति होगा जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहे या रहा है या पांच वर्षों से राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिनियम का न्यायिक सदस्य है। (3) तकनीकी सदस्य ऐसा व्यक्ति होगा, जिसके पास निम्न योग्यता, ईमानदारी और अनुभव है तथा जिसके पास विधि, औद्योगिक विज्ञान, औद्योगिक प्रबंध या प्रशासन, औद्योगिक पुनर्गठन, विनिर्माण, सेवाओं या किसी ऐसे अन्य विषय में, जो केन्द्रीय सरकार की राय से राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिनियम अधिनियम के लिए उपयुक्त है, विशेष ज्ञान और कम से कम पचास वर्ष का कुल अनुभव है।	(अ) अर्थात् अधिनियम के अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के पश्चात् की जाएगी। (आ), अर्थात् अधिनियम के न्यायिक सदस्य और तकनीकी सदस्य के पद के लिए शोजबीन-मह-बयान समिति :- (i) भारत का मुख्य न्यायाधीश या उसका नामनिर्देशित - अध्यक्ष; (ii) उच्चतम न्यायालय का कोई बरिष्ठ न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश - सदस्य; (iii) सचिव, भारत सरकार कारपोरेट कार्य मंत्रालय - सदस्य; (iv) सचिव, भारत सरकार विधि और न्याय मंत्रालय - सदस्य।	तीन वर्ष	अध्यक्ष-सत्र वर्ष सदस्य-सत्र वर्ष
14.	आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अर्थात् अंतिम विनियोग अधिनियम	कोई व्यक्ति निम्नलिखित के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नानुसार अर्हित होगा- (क) अध्यक्ष, (i) जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहे या रहा है या ऐसा न्यायाधीश होने के लिए अर्हित रहे या (ii) किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहे या रहा है; या (iii) कम से कम 7 वर्षों के लिए किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा है; या (iv) कम से कम 3 वर्षों के लिए अंतिम विनियोग अधिनियम का उपाध्यक्ष, राजस्व सदस्य या विधि सदस्य रहा है; या (v) ऐसा व्यक्ति है, जिसके पास निम्न योग्यता, ईमानदारी और अनुभव है तथा जिसके पास अर्थात्, सरकार,	(अ) अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद के लिए शोजबीन-मह-बयान समिति :- (i) भारत के मुख्य न्यायाधीश या भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा परामर्शनिर्दिष्ट भारत के उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश-अध्यक्ष; (ii) सचिव, भारत सरकार, (राजस्व विभाग) - सदस्य; (iii) सचिव, भारत सरकार, (विधि कार्य विभाग) - सदस्य; (iv) सचिव, भारत सरकार, (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) - सदस्य। (आ) सदस्य के पद के लिए शोजबीन-मह-बयान समिति :- (i) मंत्रिमंडल सचिव-अध्यक्ष; (ii) सचिव, भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग-सदस्य;	तीन वर्ष	अध्यक्ष-सत्र वर्ष उपाध्यक्ष-द्वैत वर्ष सदस्य-बारह वर्ष

		<p>शांतिपत्र, विधि विन्य, संघान्तमे प्रकथ उद्योग, लोक कार्य, प्रशासन, कलाप्रान में या किमी ऐसे अन्य विषय में जो केन्द्रीय सरकार की राय में अधिकरण के लिए उपयोगी है, विदेश ज्ञान और काम में कम 25 वर्ष का वृत्तिक अनुभव है।</p> <p>(ख) उपाध्यक्ष जो किमी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है या ऐसा न्यायाधीश होने के लिए अर्हित है।</p> <p>(ग) भारतीय राजस्व सेवा में राजस्व महसुद, जो केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का सदस्य होने के लिए अर्हित है और भारतीय सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सेवा का कोई ऐसा अधिकारी, जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड का सदस्य होने के लिए अर्हित है।</p> <p>(घ) भारतीय विधिक सेवा में विधिक सदस्य, जो भारत सरकार का अपर सचिव है।</p>	<p>(iii) सचिव, भारत सरकार, राजस्व विभाग-महसुद;</p> <p>(iv) भारत सरकार के दो सचिव, केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले-महसुद।</p>		
15	<p>बनविज्ञ अधिनियम, 1952 (1952 का 37) के अर्हित किन्तु उपाचार अर्पीत अधिकरण</p>	<p>(1) कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए नहीं अर्हित होगा जब—</p> <p>(क) वह किमी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है या ऐसा न्यायाधीश होने के लिए अर्हित है या</p> <p>(ख) उसने महसुद के रूप में कम से कम तीन वर्षों की अवधि के लिए परधानता किया है, या</p> <p>(ग) वह योग्य ईमानदार और अनुभवी व्यक्ति है और उसके पास विधि, प्रबंध, उद्योग, लोक कार्य, प्रशासन, किलमों में या किमी ऐसे अन्य विषय में, जो केन्द्रीय सरकार की राय में अर्पीत अधिकरण के लिए उपयोगी है, विदेश ज्ञान और काम में कम 25 वर्ष का वृत्तिक अनुभव है।</p> <p>(2) केन्द्रीय सरकार ऐसे व्यक्तियों को अर्पीत अधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्त कर सकेगी, जो उसकी राय में जसता पर किलमों के प्रभाव को समझने के लिए अर्हित है।</p>	<p>अर्पीत अधिकरण के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद के लिए खोजबीत-मह-चयन समिति—</p> <p>(i) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला व्यक्ति-अध्यक्ष;</p> <p>(ii) सचिव, भारत सरकार सूचना और प्रसारण विभाग-महसुद;</p> <p>(iii) सचिव, भारत सरकार, केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाले वाला-महसुद;</p> <p>(iv) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दो विशेषज्ञ-महसुद।</p>	तीन वर्ष	<p>अध्यक्ष-महसुद वर्ष</p> <p>सदस्य-तीन वर्ष</p>
16	<p>एरभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 68) के अर्पीत राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद समाधान</p>	<p>(1) कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए नहीं अर्हित होगा जब—</p> <p>(क) वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है या ऐसा न्यायाधीश होने के लिए अर्हित है या</p> <p>(ख) वह किमी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति है या रहा है; या</p>	<p>(अ) अध्यक्ष की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के परन्तान् की जासगी।</p> <p>(आ) सदस्य के पद के लिए खोजबीत-मह-चयन समिति—</p> <p>(i) कोई व्यक्ति, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है, जिसे</p>	तीन वर्ष	<p>अध्यक्ष-महसुद वर्ष</p> <p>सदस्य-महसुद वर्ष</p>

	<p>(ग) उसने कम से कम तीन वर्ष के लिए सदस्य या न्यायिक सदस्य का पद धारण किया है; या</p> <p>(घ) वह योग्य, ईमानदार और अनुभवी व्यक्ति है, जिसके पास अर्थशास्त्र, वाणिज्य, विधि, क्लिन, लेखाकर्म, प्रबंध, उद्योग, लोक कार्य, प्रशासन में या किसी ऐसे अन्य विषय में, जो केंद्रीय सरकार की राय में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद समाधान आयोग के लिए उपयोगी है, विशेष ज्ञान और पश्चीम वर्ष में अनुभूत का वृत्तिक अनुभव है।</p> <p>(2) कोई व्यक्ति सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हिन होगा जब वह योग्य, ईमानदार और अनुभवी व्यक्ति है, जिसके पास अर्थशास्त्र, वाणिज्य, विधि, क्लिन, लेखाकर्म, प्रबंध, उद्योग, लोक कार्य, प्रशासन में या किसी ऐसे अन्य विषय में, जो केंद्रीय सरकार की राय में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद समाधान आयोग के लिए उपयोगी है, विशेष ज्ञान और पश्चीम वर्ष में अनुभूत का वृत्तिक अनुभव है।</p> <p>परंतु किसी व्यक्ति को न्यायिक सदस्य के रूप में केवल तभी नियुक्त किया जाएगा जब,—</p> <p>(क) वह किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है या ऐसा न्यायाधीश होने के लिए अर्हिन है; या</p> <p>(ख) उसने कम से कम दस वर्ष के लिए भारत के राज्यक्षेत्र में कोई न्यायिक पद धारण किया है।</p>	<p>भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए—अध्यक्ष;</p> <p>(ii) सचिव, भारत सरकार, विधि कार्य विभाग - सदस्य;</p> <p>(iii) सचिव, भारत सरकार, उपभोक्ता कार्य महालय - सदस्य;</p> <p>(iv) केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दो विशेषज्ञ -सदस्य।</p>	
17.	<p>विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) के अर्धीन विद्युत अर्धीन अधिकरण</p> <p>(1) कोई व्यक्ति अर्धीन अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हिन होगा जब,—</p> <p>(क) वह किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है या ऐसा न्यायाधीश होने के लिए अर्हिन है; या</p> <p>(ख) वह किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति है या रहा है; या</p> <p>(ग) उसने कम से कम तीन वर्ष की अवधि के लिए न्यायिक सदस्य या नवजीवी सदस्य का पद धारण किया है; या</p> <p>(घ) वह योग्य, ईमानदार और</p>	<p>(अ) अर्धीन अधिकरण के अध्यक्ष और न्यायिक सदस्य के पद के लिए खोजबीत-सह-चयन समिति -</p> <p>(i) भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या उनका नामनिर्देशित - अध्यक्ष;</p> <p>(ii) सचिव, विद्युत मंत्रालय - सदस्य;</p> <p>(iii) सचिव, भारत सरकार, केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दो विशेषज्ञ - सदस्य;</p> <p>(iv) केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दो विशेषज्ञ -सदस्य।</p>	<p>तीन वर्ष</p> <p>अध्यक्ष-भारत वर्ष</p> <p>सदस्य-दो-वर्ष</p>

		<p>अनुभवी व्यक्ति है, जिसके पास अर्थशास्त्र, कानून, वाणिज्य, विधि, विज्ञान, लेखाकर्म, प्रबंध, उद्योग, लोक कार्य, प्रशासन में या किसी ऐसे अन्य विषय में, जो केंद्रीय सरकार की राय में जमीन अधिकांश के लिए उपयोगी है, विशेष ज्ञान और पर्याप्त वर्षों में अर्जित वा व्यापक अनुभव है।</p> <p>(2) कोई व्यक्ति न्यायिक मदन्य के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब—</p> <p>(क) वह किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है या ऐसा न्यायाधीश होने के लिए अर्हित है, या</p> <p>(ख) उसने कम से कम दस वर्षों के लिए भारत के राज्यक्षेत्र में कोई न्यायिक पद धारण किया है।</p> <p>(3) कोई व्यक्ति तकनीकी मदन्य के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब वह पौरुष, ईमानदार और अनुभवी व्यक्ति है, जिसके पास विद्युत ज्ञान, पाठ्य, विज्ञान, विनिर्माण, अर्थशास्त्र, कानून, वाणिज्य, विधि, विज्ञान, लेखाकर्म, प्रबंध, उद्योग, लोक कार्य, प्रशासन में या किसी ऐसे अन्य विषय में, जो केंद्रीय सरकार की राय में जमीन अधिकांश के लिए उपयोगी है, विशेष ज्ञान और पर्याप्त वर्षों में अर्जित वा व्यापक अनुभव है।</p>	<p>(अ) अर्जित अधिकांश के तकनीकी मदन्य के पद के लिए श्रोजर्चीन-मह-चयन समिति :-</p> <p>(i) केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले कोई व्यक्ति - अध्यक्ष ;</p> <p>(ii) सचिव, भारत सरकार विद्युत मंत्रालय - सदस्य ;</p> <p>(iii) सचिव, भारत सरकार, केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले - सदस्य ;</p> <p>(iv) केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दो विशेषज्ञ - सदस्य ।</p>		
19.	मदन्य का अधिनियम, 2007 (2007 का 56) के अर्जित मदन्य का अधिनियम	<p>(1) कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब—</p> <p>(क) वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है या ऐसा न्यायाधीश होने के लिए अर्हित है, या</p> <p>(ख) किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति है या रहा है।</p> <p>(2) कोई व्यक्ति न्यायिक मदन्य के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब वह किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है।</p> <p>(3) कोई व्यक्ति प्रशासनिक मदन्य के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब—</p> <p>(क) उसने कम से कम तीन वर्षों की कुल अवधि के लिए सेवा में भारत सरकार या उसके अंग या या नौसेना या वायु सेना में सम्मुख पद का पद</p>	<p>(अ) मदन्य का अधिकांश के अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात् की जाएगी।</p> <p>(आ) मदन्य का अधिकांश के उपाध्यक्ष, न्यायिक मदन्य या प्रशासनिक मदन्य के पद के लिए श्रोजर्चीन-मह-चयन समिति :-</p> <p>(i) उच्चतम न्यायालय का कोई जमीन न्यायाधीश है, जिसे भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए या भारतीय विधि आयोग का अध्यक्ष — अध्यक्ष ;</p> <p>(ii) अध्यक्ष, मदन्य का अधिकांश - सदस्य ;</p> <p>(iii) भारत सरकार के दो सचिव, जिनमें एक सचिव भी होगा - सदस्य ।</p>	तीन वर्ष	अध्यक्ष-नारत वर्ष सदस्य-दोपद वर्ष

		<p>धारण किया है या कर रहा है; या</p> <p>(ख) अपने सेवा या नौकरा या बाहु सेवा में एक वर्ष से अल्प अवधि के लिए जल एडवांकेड जनरल के रूप में सेवा भी है और वह जल जनरल जनरल, कोमोडोर और एयर कोमोडोर की शक्ति में निम्न का नहीं है; या</p> <p>(ग) वह योग्य, ईमानदार और अनुभवी व्यक्ति है, जिसके पास अध्यात्म, वाग्द्वार, वाणिज्य, विधि, चित्त, लेखाकर्म, प्रबंध, उद्योग, लौह कार्य, प्रशासन के या किसी ऐसे अन्य विषय में, जो केंद्रीय सरकार की रूप से सफलता के लिए उपयोगी है, विशेष ज्ञान और बीस वर्ष से अल्प का वृत्तिक अनुभव है।</p>			
19.	राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 19)	<p>(1) कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब -</p> <p>(क) वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है या ऐसा न्यायाधीश होने के लिए अर्हित है; या</p> <p>(ख) किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है या रहा है; या</p> <p>(ग) अपने काम से कम बीस वर्ष की अवधि के लिए न्यायिक सदस्य या विशेषज्ञ सदस्य के रूप में पद धारण किया है; या</p> <p>(घ) वह योग्य, ईमानदार और अनुभवी व्यक्ति है, जिसके पास विधि के क्षेत्र में विशेष ज्ञान और पचबीस वर्ष से अल्प का वृत्तिक अनुभव है, जिसमें पर्यावरण और वन के क्षेत्र में पांच वर्ष का व्यवहारिक अनुभव सम्मिलित हो।</p> <p>(2) कोई व्यक्ति न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब -</p> <p>(क) वह किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है या ऐसा न्यायाधीश होने के लिए अर्हित है; या</p> <p>(ख) अपने भारत के राज्यक्षेत्र में काम से कम दस वर्ष के लिए कोई न्यायिक पद धारण किया है।</p> <p>(3) कोई व्यक्ति विशेषज्ञ सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब -</p> <p>(क) उसके पास विज्ञान में स्नातक</p>	<p>(क) राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष या न्यायिक सदस्य के पद के लिए शोजर्वील-सह-चयन समिति -</p> <p>(i) भारत के मुख्य न्यायाधीश या उक्त नामनिर्दिष्टी - अध्यक्ष;</p> <p>(ii) सचिव, भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय - सदस्य;</p> <p>(iii) सचिव, भारत सरकार, केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला - सदस्य;</p> <p>(iv) केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दो विशेषज्ञ - सदस्य।</p> <p>(ख) राष्ट्रीय हरित अधिकरण के विशेषज्ञ सदस्य के पद के लिए शोजर्वील-सह-चयन समिति -</p> <p>(i) केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले कोई व्यक्ति - अध्यक्ष;</p> <p>(ii) सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय - सदस्य;</p> <p>(iii) सचिव, भारत सरकार, केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला - सदस्य;</p> <p>(iv) केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दो विशेषज्ञ - सदस्य।</p>	बीस वर्ष	अध्यक्ष-संलग्न वर्ष सदस्य-सड़क वर्ष

Chairperson, Presiding Officer of the Security Appellate Tribunal, President or, as the case may be, Vice-President;

- (c) "Presiding Officer" means the Presiding Officer of the Security Appellate Tribunal appointed under section 151 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), Presiding Officer of the Debt Recovery Tribunal appointed under sub-section (1) of section 4 of the Recovery of Debts due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 (51 of 1993) and Presiding Officer of the Industrial Tribunal appointed by the Central Government under sub-section (1) of section 7A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947);
- (d) "Search-cum-Selection Committee" means the Search-cum-Selection Committee referred to in rule 4;
- (e) "Vice-Chairman" or "Vice-Chairperson" or "Vice-President" means the Vice-Chairman, the Vice-Chairperson or Vice-President of the Tribunal, Appellate Tribunal or, as the case may be, Authority;
- (f) words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the same meanings respectively assigned to them in the respective Acts.

3. Qualifications for appointment of Member.—The qualification for appointment of the Chairman, Chairperson, President, Vice-Chairman, Vice-Chairperson, Vice-President, Presiding Officer, Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Law Member, Revenue Member, Technical Member or Member of the Tribunal, Appellate Tribunal or, as the case may be, Authority shall be such as specified in column (3) of the Schedule annexed to these rules.

4. Method of recruitment.—(1) The Chairman, Chairperson, President, Vice-Chairman, Vice-Chairperson, Vice-President, Presiding Officer, Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Law Member, Revenue Member, Technical Member or Member of the Tribunal, Appellate Tribunal or, as the case may be, Authority shall be appointed by the Central Government on the recommendation of a Search-cum-Selection Committee specified in column (4) of the said Schedule in respect of the Tribunal, Appellate Tribunal or, as the case may be, Authority specified in column (2) of the said Schedule.

(2) The Secretary to the Government of India in the Ministry or Department under which the Tribunal, Appellate Tribunal or, as the case may be, Authority is constituted or established shall be the convener of the Search-cum-Selection Committee.

(3) The Search-cum-Selection Committee shall determine its procedure for making its recommendation.

(4) No appointment of Chairman, Chairperson, President, Vice-Chairman, Vice-Chairperson, Vice-President, Presiding Officer, Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Law Member, Revenue Member, Technical Member or Member of the Tribunal, Appellate Tribunal or Authorities shall be invalid merely by reason of any vacancy or absence in the Search-cum-Selection Committee.

(5) Nothing in this rule shall apply to the appointment of Chairman, Chairperson, President, Vice-Chairman, Vice-Chairperson, Vice-President, Presiding Officer, Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Law Member, Revenue Member, Technical Member or Member of the Tribunal, Appellate Tribunal or, as the case may be, Authority functioning as such immediately before the commencement of these rules.

5. Medical fitness.—No person shall be appointed as the Chairman, Chairperson, President, Vice-Chairman, Vice-Chairperson, Vice-President, Presiding Officer, Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Law Member, Revenue Member, Technical Member or Member of the Tribunal, Appellate Tribunal or Authority, or as the case may be, unless he is declared medically fit by an authority specified by the Central Government in this behalf.

6. Resignation by a Member.—A Member may, by writing under his hand addressed to the Central Government, resign his office at any time.

Provided that the Member shall, unless he is permitted by the Central Government to relinquish office sooner, continue to hold office until the expiry of three months from the date of receipt of such notice or until a person duly appointed as a successor enters upon his office or until the expiry of his term of office, whichever is the earliest.

7. Removal of Member from office.—The Central Government may, on the recommendation of a Committee constituted by it in this behalf, remove from office any Member, who—

- (a) has been adjudged as an insolvent; or
- (b) has been convicted of an offence which, in the opinion of the Central Government, involves moral turpitude; or
- (c) has become physically or mentally incapable of acting as such a Member; or
- (d) has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as a Member; or
- (e) has so abused his position as to render his continuance in office prejudicial to the public interest;

Provided that where a Member is proposed to be removed on any ground specified in clauses (b) to (e), the Member shall be informed of the charges against him and given an opportunity of being heard in respect of those charges:

Provided further that the Chairperson or member of the National Company Appellate Tribunal shall be removed from office in consultation with the Chief Justice of India.

8. Procedure for inquiry of misbehavior or incapacity of the Member.—

(1) If a written complaint is received by the Central Government, alleging any definite charge of misbehavior or incapacity to perform the functions of the office in respect of a Chairman, Vice-Chairman, Chairperson, Vice-Chairperson, President, Vice-President, Presiding Officer, Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Law Member, Revenue Member, Technical Member or Member, the Ministry or Department of the Government of India under which the Tribunal, Appellate Tribunal or, as the case may be, Authority is constituted or established, shall make a preliminary scrutiny of such complaint.

(2) If on preliminary scrutiny, the Ministry or Department of the Government of India under which the Tribunal, Appellate Tribunal or, as the case may be, Authority is constituted or established, is of the opinion that there are reasonable grounds for making an inquiry into the truth of any misbehavior or incapacity of a Chairman, Vice-Chairman, Chairperson, Vice-Chairperson, President, Vice-President, Presiding Officer, Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Law Member, Revenue Member, Technical Member or Member, it shall make a reference to the Committee constituted under rule 7 to conduct the inquiry.

(3) The Committee shall complete the inquiry within such time or such further time as may be specified by the Central Government.

(4) After the conclusion of the inquiry, the Committee shall submit its report to the Central Government stating therein its findings and the reasons therefor on each of the charges separately with such observations on the whole case as it may think fit.

(5) The Committee shall not be bound by the procedure laid down by the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) but shall be guided by the principles of natural justice and shall have power to regulate its own procedure, including the fixing of date, place and time of its inquiry.

9. Term of office of Member.—Save as otherwise provided in these rules, the Chairman, Chairperson, President, Vice-Chairman, Vice-Chairperson, Vice-President, Presiding Officer, Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Law Member, Revenue Member, Technical Member or, as the case may be, Member shall hold office for a term as specified in column (5) of the said Schedule and shall hold the office up to such age as specified in column (6) in the said Schedule from the date on which he enters upon his office and shall be eligible for reappointment.

10. Casual vacancy.—(1) In case of a casual vacancy in the office of—

(a) the Chairman, Chairperson, President, or Presiding Officer of the Security Appellate Tribunal, the Central Government shall have the power to appoint the senior most Vice-Chairperson or Vice-Chairman, Vice-President or in his absence, one of the Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Law Member, Revenue Member, Technical Member, or Member of the Tribunal, Appellate Tribunal or, as the case may be, Authority to officiate as Chairperson, Chairman, President or Presiding Officer.

(b) the Chairperson of the Debts Recovery Appellate Tribunal, the Central Government shall have power to appoint the Chairperson of another Debts Recovery Appellate Tribunal to officiate as Chairperson and in case of a casual vacancy in the office of the Presiding Officer of the Debts Recovery Tribunal, the Chairperson of the Debts Recovery Appellate Tribunal shall have power to appoint the Presiding Officer of another Debts Recovery Appellate Tribunal to officiate as Presiding Officer.

11. Salary and allowances.—(1) The Chairman, Chairperson or President of the Tribunal, Appellate Tribunal or, as the case may be, Authority or the Presiding Officer of the Security Appellate Tribunal shall be paid a salary of Rs. 2,50,000 (fixed) and other allowances and benefits as are admissible to a Central Government officer holding posts carrying the same pay.

(2) The Vice-Chairman, Vice-Chairperson, Vice-President, Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Law Member, Revenue Member, Technical Member or, as the case may be, Member shall be paid a salary of Rs. 2,25,000 and shall be entitled to draw allowances as are admissible to a Government of India Officer holding Group 'A' post carrying the same pay.

(3) A Presiding Officer of the Debt Recovery Tribunal or a Presiding Officer of the Industrial Tribunal constituted by the Central Government shall be paid a salary of Rs. 1,44,200 - 2,18,200 and shall be entitled to draw allowances as are admissible to a Government of India officer holding Group 'A' post carrying the same pay.

(4) In case of a person appointed as the Chairman, Chairperson, President, Vice-Chairman, Vice-Chairperson, Vice-President, Presiding Officer, Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Law

Member, Revenue Member, Technical Member or Member, as the case may be, is in receipt of any pension, the pay of such person shall be reduced by the gross amount of pension drawn by him.

12. Pension, Gratuity and Provident Fund.—(1) In case of a serving Judge of the Supreme Court, a High Court or a serving Judicial Member of the Tribunal or a member of the Indian Legal Service or a member of an organised Service appointed to the post of the Chairperson, Chairman, President or Presiding Officer of the Security Appellate Tribunal, the service rendered in the Tribunal, Appellate Tribunal or, as the case may be, Authority shall count for pension to be drawn in accordance with the rules of the service to which he belongs and he shall be governed by the provisions of the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960 and the Contribution Pension System.

(2) In all other cases, the Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Law Member, Revenue Member, Technical Member or Member shall be governed by the provisions of the Contributory Provident Fund (India) Rules, 1962 and the Contribution Pension System.

(3) Additional pension and gratuity shall not be admissible for service rendered in the Tribunal, Appellate Tribunal or, as the case may be, Authority.

13. Leave.—(1) The Chairman, Chairperson, President, Vice-Chairman, Vice-Chairperson, Vice-President, Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Law Member, Revenue Member, Technical Member, Presiding Officer or a Member shall be entitled to thirty days of earned Leave for every year of service.

(2) Casual Leave not exceeding eight days may be granted to the Chairman, Chairperson, President, Vice-Chairman, Vice-Chairperson, Vice-President, Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Law Member, Revenue Member or Technical Member, Presiding Officer or a Member in a calendar year.

(3) The payment of leave salary during leave shall be governed by rule 40 of the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972.

(4) The Chairman, Chairperson, President, Vice-Chairman, Vice-Chairperson, Vice-President, Presiding Officer, Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Law Member, Revenue Member, Technical Member or Member shall be entitled to encashment of leave in respect of the earned Leave standing to his credit, subject to the condition that maximum leave encashment, including the amount received at the time of retirement from previous service shall not in any case exceed the prescribed limit under the Central Civil Service (Leave) Rules, 1972.

14. Leave sanctioning authority.—(1) Leave sanctioning authority.—

(a) for the Vice-Chairman, Vice-Chairperson, Vice-President, Presiding Officer of the Debts Recovery Tribunal and Industrial Tribunal, Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Law Member, Revenue Member, Technical Member or Member shall be Chairman, Chairperson or as the case may be, President; and

(b) for the Chairman, Chairperson, Presiding Officer of Security Appellate Tribunal or President, shall be the Central Government, who shall also be sanctioning authority for Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member or Member in case of absence of Chairman, Chairperson, Presiding Officer of Security Appellate Tribunal or President.

(2) The Central Government shall be the sanctioning authority for foreign travel to the Chairman, Chairperson, President, Vice-Chairman, Vice-Chairperson, Vice-President, Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Technical Member, Presiding Officer or a Member.

15. House rent allowance.—The Chairman, Chairperson, President, Vice-Chairman, Vice-Chairperson, Vice-President, Presiding Officer, Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Technical Member or Member shall be entitled to house rent allowance at the same rate as are admissible to Group 'A' Officer of the Government of India of a corresponding status.

16. Transport allowance.—The Chairman, Chairperson, President, Vice-Chairman, Vice-Chairperson, Vice-President, Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Technical Member, Presiding Officer or Member shall be entitled to the facility of staff car for journeys for official and private purposes in accordance with the facilities as are admissible to Group 'A' Officer of the Government of India of a corresponding status as per the provisions of Staff Car Rules.

17. Declaration of Financial and other Interests.—The Chairman, Chairperson, President, Vice-Chairman, Vice-Chairperson, Vice-President, Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Technical Member, Presiding Officer or Member shall, before entering upon his office, declare his assets, and his liabilities and financial and other interests.

18. Other conditions of service.—(1) The terms and conditions of service of a Chairman, Chairperson, President, Vice-Chairman, Vice-Chairperson, Vice-President, Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Technical Member, Presiding Officer or Member with respect to which no express provision has been made in these rules, shall be such as are admissible to a Group 'A' Officer of the Government of India of a corresponding status.

(2) The Chairman, Chairperson, President, Vice-Chairman, Vice-Chairperson, Vice-President, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Technical Member, Presiding Officer or Member shall not practice before the Tribunal, Appellate Tribunal or Authority after retirement from the service of that Tribunal, Appellate Tribunal or, as the case may be, Authority.

(3) The Chairman, Chairperson, President, Vice-Chairman, Vice-Chairperson, Vice-President, Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Technical Member, Presiding Officer or Member shall not undertake any arbitration work while functioning in these capacities in the Tribunal, Appellate Tribunal or Authority.

(4) The Chairman, Chairperson, President, Vice-Chairman, Vice-Chairperson, Vice-President, Presiding Officer, Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Law Member, Revenue Member, Technical Member or Member of the Tribunal, Appellate Tribunal or, as the case may be, Authority shall not, for a period of two years from the date on which they cease to hold office, accept any employment in, or connected with the management or administration of, any person who has been a party to a proceeding before the Tribunal, Appellate Tribunal or, as the case may be, Authority:

Provided that nothing contained in this rule shall apply to any employment under the Central Government or a State Government or a local authority or in any statutory authority or any corporation established by or under any Central, State or Provincial Act or a Government company as defined in clause (45) of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013).

19. Oaths of office and secrecy.—Every person appointed to be the Chairman, Chairperson, President, Vice-Chairman, Vice-Chairperson, Vice-President, Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Technical Member, Presiding Officer or Member shall, before entering upon his office, make and subscribe an oath of office and secrecy in Forms I and II annexed to these rules.

20. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

21. Interpretation.—If any question arises relating to the interpretation of these rules, the decision of the Central Government thereon shall be final.

22. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

FORM I

(See rule 19)

Form of Oath of Office for Chairman/Vice-Chairman/ Chairperson/ Vice-Chairperson/ President/Vice-President/ Presiding Officer/Administrative Member/Judicial Member/ Expert Member/Law Member/Revenue Member/Technical Member/Member of the (Name of the Tribunal/Appellate Tribunal/Authority)

I, A. B., having been appointed as Chairman/Vice-Chairman/ Chairperson/ Vice-Chairperson/ President/Vice-President/ Presiding Officer/ Accountant Member/ Administrative Member, Judicial Member/ Expert Member / Law Member/ Revenue Member/ Technical Member/ Member of the (Name of the Tribunal/Appellate Tribunal/Authority)

do solemnly affirm/do swear in the name of God that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as the Chairman/Vice-Chairman/ Chairperson/ Vice-Chairperson/ President/Vice-President/ Presiding Officer/ Accountant Member/ Administrative Member/ Judicial Member/ Expert Member / Law Member/ Revenue Member/ Technical Member/ Member (Name of the Tribunal/Appellate Tribunal/Authority) to the best of my ability, knowledge and judgment, without fear or favour, affection or ill-will and that I will uphold the Constitution and the laws of land.

FORM II

(See rule 19)

Form of Oath of Secrecy for Chairman/Vice-Chairman/ Chairperson/ Vice-Chairperson/ President/Vice-President/ Presiding Officer/ Accountant Member/ Administrative Member/ Judicial Member/ Expert Member / Law Member/ Revenue Member/ Technical Member/ Member of the (Name of Tribunal/Appellate Tribunal/Authority)

I, A. B., having been appointed as the Chairman/Vice-Chairman/ Chairperson/ Vice-Chairperson/ President/Vice-President/ Presiding Officer/Member of the (Name of Tribunal/Appellate Tribunal/Authority), do solemnly affirm do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Chairman/Vice-Chairman/ Chairperson/ Vice-Chairperson/ President/Vice-President/ Presiding Officer / Accountant Member/ Administrative Member, Judicial Member/ Expert Member / Law Member/ Revenue Member/ Technical Member/ Member of the said (Name of Tribunal/Appellate Tribunal/Authority) except as may be required for the due discharge of my duties as the Chairman/Vice-Chairman/ Chairperson/ Vice-Chairperson/ President/Vice-President/ Presiding Officer/Member.

SCHEDULE

S. No.	Name of Tribunal, Appellate Tribunal or Authority.	Qualification for appointment of Chairperson, Chairman, President, Vice-Chairperson, Vice-Chairman, Vice-President, Presiding Officer, Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member or Technical Member or Member.	Composition of Search-cum- Selection Committee	Term of Office	Maximum age for holding Office (in years)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Industrial Tribunal constituted by the Central Government under the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947)	<p>A person shall not be qualified for appointment as Presiding Officer, unless he -</p> <p>(a) is, or has been, or is qualified to be, a Judge of a High Court; or</p> <p>(b) he has, for a period of not less than three-years, been a District Judge or an Additional District Judge; or</p> <p>(c) is a person of ability, integrity and standing and having special knowledge of, and professional experience of not less than twenty years in economics, business, commerce, law, finance, management, industry, public affairs, administration, labour relations, industrial disputes or any other matter which in the opinion of the Central Government is useful to the Industrial Tribunal.</p>	<p>Search-cum-Selection-Committee for the post of the Presiding Officer. -</p> <p>(i) a person to be nominated by the Central Government-chairperson;</p> <p>(ii) Secretary to the Government of India, Ministry of Labour and Employment- member;</p> <p>(iii) Secretary to the Government of India to be nominated by the Central Government-member;</p> <p>(iv) two experts to be nominated by the Central Government- members.</p>	Three Years	Presiding Officer- Sixty- five years of age.
2.	Income-tax Appellate Tribunal under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961)	<p>(1) A person shall not be qualified for appointment as President unless he is a sitting or retired Judge of a High Court and who has completed not less than seven years of service as a Judge in a High Court or a Vice-President of the Income-tax Appellate Tribunal.</p> <p>(2) The Central Government may appoint one or more members of the Income-tax Appellate Tribunal to be the Vice-President or, as the case may be, Vice-Presidents thereof.</p> <p>(3) A person shall not be qualified for appointment as a Judicial Member, unless, -</p> <p>(a) he has for at least ten years</p>	<p>(A) Search-cum-Selection Committee for the post of the President and Vice-President. -</p> <p>(i) a sitting Judge of Supreme Court to be nominated by the Chief Justice of India-chairperson;</p> <p>(ii) the President, Income-tax Appellate Tribunal-member, and</p> <p>(iii) the Secretary to the Government of India, Ministry of Law and Justice (Department of Legal Affairs)- member.</p> <p>(B) Search-cum-Selection Committee for the Accountant Member and Judicial Member, -</p>	Three Years	<p>President- Sixty-five years</p> <p>Vice-President- Sixty-two years</p> <p>Member- Sixty-two years</p>

		<p>held a judicial office in the territory of India; or</p> <p>(b) he has been a member of the Indian Legal Service and has held a post in Grade II of the Service or any equivalent or higher post for at least three years; or</p> <p>(c) he has been an advocate for at least ten years;</p> <p>(4) A person shall not be qualified for appointment as an Accountant Member, unless—</p> <p>(i) he has for at least ten years been in the practice of accountancy;</p> <p>(a) as a chartered accountant under the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949), or</p> <p>(b) as a registered accountant under any law formerly in force, or partly as such registered accountant and partly as a chartered accountant; or</p> <p>(ii) he has been a member of the Indian Revenue Service (Income-tax Service Group 'A') and has held the post of Additional Commissioner of Income-tax or any equivalent or higher post for at least three years.</p>	<p>(i) a nominee of the Minister of Law and Justice—chairperson.</p> <p>(ii) Secretary to the Government of India, Ministry of Law and Justice (Department of Legal Affairs)—member;</p> <p>(iii) President of the Income-tax Appellate Tribunal—member; and</p> <p>(iv) such other persons, if any, not exceeding two, as the Minister of Law and Justice may appoint—member.</p>		
3.	The Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal under the Customs Act, 1962 (52 of 1962)	<p>(1) A person shall not be qualified for appointment as President unless—</p> <p>(a) he is or has been a Judge of a High Court; or</p> <p>(b) he is the member of the Appellate Tribunal.</p> <p>(2) A person shall not be qualified for appointment as a Judicial Member, unless—</p> <p>(a) he has for at least ten years held a judicial office in the territory of India; or</p> <p>(b) he has been a member of the Indian Legal Service and has held a post in Grade-I of that Service or any equivalent or higher post for at least three years; or</p> <p>(c) he has been an advocate for at least ten years.</p>	<p>(A) Search-cum- Selection Committee for the post of President—</p> <p>(i) Chief Justice of India or a Judge of the Supreme Court of India as nominated by the Chief Justice of India as chairperson;</p> <p>(ii) Secretary to the Government of India, Department of Revenue—member;</p> <p>(iii) Secretary to the Government of India, Ministry of Law and Justice (Department of Legal Affairs)—member;</p> <p>(iv) Secretary to the Government of India, Department of Personnel and Training—member.</p> <p>(B) Search-cum- Selection</p>	Three Years	President—Sixty-seven years Members—Sixty-two years

		<p>(3) A person shall not be qualified for appointment as a Technical Member unless he has been a member of the Indian Revenue Service (Customs and Central Excise Service Group 'A') and has held the post of Commissioner of Customs or Central Excise or any equivalent or higher post for at least three years.</p>	<p>Committee for post of Judicial Member, -</p> <p>(i) a Judge of the Supreme Court as nominated by the Chief Justice of India-chairperson;</p> <p>(ii) Secretary to the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue)- member;</p> <p>(iii) Secretary to the Government of India, Ministry of Law and Justice (Department of Legal Affairs)- member;</p> <p>(iv) President of the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal- member; and</p> <p>(v) such other persons, not exceeding two, as the Central Government may nominate- member.</p> <p>(C). Search-cum-Selection Committee for the post of Technical member.-</p> <p>(i) Cabinet Secretary to the Government of India - chairperson;</p> <p>(ii) Secretary to the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue)- member;</p> <p>(iii) Secretary to the Government of India, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training) - member;</p> <p>(iv) Secretary to the Government of India, Ministry of Law (Department of Legal Affairs) - member.</p>		
<p>4.</p>	<p>Appellate Tribunal under the Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976 (13 of 1976)</p>	<p>(1) The Chairman of the Appellate Tribunal shall be a person who is or has been or is qualified to be a Judge of a Supreme Court or a Judge of a High Court.</p> <p>(2) The Member of the Appellate Tribunal shall be a person not below the rank of Joint Secretary to the Government of India.</p>	<p>(A) Search-cum- Selection Committee for the post of Chairman, -</p> <p>(i) Chief Justice of India or a Judge of the Supreme Court of India as nominated by the Chief Justice of India - chairperson;</p> <p>(ii) Secretary to the Government of India (Department of Revenue)- member;</p>	<p>Three Years</p>	<p>Chair-person Sixty-five years</p> <p>Member - Sixty-two years</p>

			<p>(iii) Secretary to the Government of India, Ministry of Law and Justice (Department of Legal Affairs)- member.</p> <p>(iv) Secretary to the Government of India, Department of Personnel and Training- member.</p> <p>(B) Search-cum-Selection Committee for the post of Member. -</p> <p>(i) Cabinet Secretary - chairperson.</p> <p>(ii) Secretary to the Government of India, Department of Personnel and Training- member.</p> <p>(iii) Secretary to the Government of India (Department of Revenue) - member.</p> <p>(iv) two Secretaries to the Government of India to be nominated by the Central Government - members.</p>		
5	Central Administrative Tribunal under the Administrative Tribunal Act, 1985 (13 of 1985).	<p>(1) A person shall not be qualified for appointment as the Chairman, unless he. -</p> <p>(a) is, or has been, or is qualified to be, a Judge of a High Court; or</p> <p>(b) has, for a period of not less than three years, held office, as Administrative Member or Judicial Member in the Central Administrative Tribunal.</p> <p>(c) is a person of ability, integrity and standing, and having special knowledge of, and professional experience of not less than twenty years in economics, business, commerce, law, finance, accountancy, management, industry, public affairs or administration, or any other matter which in the opinion of the Central Government is useful to the Central Administrative Tribunal.</p> <p>(2) A person shall not be qualified for appointment. -</p> <p>(a) as a Judicial Member, unless he. -</p> <p>(i) is, or has been, or is</p>	<p>(A) Search-cum-Selection Committee for the post of Chairman and Judicial Member. -</p> <p>(i) Chief Justice of India or his nominee- chairperson;</p> <p>(ii) Chairman of the Central Administrative Tribunal, Principal Bench - member;</p> <p>(iii) Secretary to the Government of India, (Department of Personnel and Training)- member;</p> <p>(iv) Secretary to the Government of India, Ministry of Law and Justice -member;</p> <p>(c) one expert, to be nominated by the Central Government of India- member.</p> <p>(B) Search-cum-Selection Committee for the post of Administrative Member. -</p> <p>(a) a person to be nominated by the Central Government - chairperson;</p> <p>(b) Chairman of the Central Administrative Tribunal - member.</p>	Three Years	<p>Chairman Sixty-eight years</p> <p>Member - Sixty-five years</p>

	<p>qualified to be a Judge of a High Court; or</p> <p>(ii) has, for at least one year, held the post of Secretary to the Government of India in the Department of Legal Affairs or the Legislative Department including Member-Secretary, Law Commission of India; or</p> <p>(iii) has, for at least two years, held a post of Additional Secretary to the Government of India in the Department of Legal Affairs or Legislative Department; or</p> <p>(iv) has, for at least ten years, held a judicial office in the territory of India.</p> <p>(b) as an Administrative Member, unless he, -</p> <p>(i) has, for at least one year, held the post of Secretary to the Government of India or any other post under the Central Government or a State Government and carrying the scale of pay which is not less than that of a Secretary to the Government of India for at least one year; or</p> <p>(ii) has, for at least two years, held a post of Additional Secretary to the Government of India or any other post under the Central or State Government carrying the scale of pay which is not less than that of Additional Secretary to the Government of India at least for a period of two years.</p> <p>Provided that the officers belonging to the All-India services who were or are on Central deputation to a lower post shall be deemed to have held the post of Secretary or Additional Secretary, as the case may be, from the date such officers were granted proforma promotion or actual promotion whichever is earlier to the level of Secretary or Additional Secretary, as the case may be, and the period spent on Central deputation after such date shall count for qualifying service for the purpose of this clause.</p>	<p>(c) Secretary to the Government of India, (Department of Personnel and Training)- member.</p> <p>(d) Secretary to the Government of India, Ministry of Law and Justice - member.</p> <p>(e) one expert, to be nominated by the Government of India - member.</p>		
--	--	---	--	--

6.	Railway Claims Tribunal under the Railway Claims Tribunal Act, 1987 (54 of 1987)	<p>(1) A person shall not be qualified for appointment as the Chairman, unless he:—</p> <p>(a) is, or has been, or is qualified to be a Judge of a High Court; or</p> <p>(b) has, for a period of not less than three years, held office as Vice-Chairman, Judicial Member or Technical Member, as the case may be, or</p> <p>(c) is a person of ability, integrity and standing, and having a special knowledge of, and professional experience of not less than twenty-five years, in claims and commercial matters relating to railways.</p> <p>(2) A person shall not be qualified for appointment as the Vice-Chairman (Judicial), unless he:—</p> <p>(a) is, or has been, or is qualified to be, a Judge of a High Court; or</p> <p>(b) has been a member of the Indian Legal Service and has held a post in Grade I of that Service or any higher post for at least five years; or</p> <p>(c) has, for at least five years, held a civil judicial post carrying a scale of pay which is not less than that of a Joint Secretary to the Government of India; or</p> <p>(d) has, for a period of not less than three years, held office as a Judicial Member.</p> <p>(3) A person shall not be qualified for appointment as the Vice-Chairman (Technical), unless he:—</p> <p>(a) has, for a period of not less than three years, held office as a Technical Member;</p> <p>(b) has, for at least five years, held a post under a railway administration carrying a scale of pay which is not less than that of a Joint Secretary to the Government of India and has adequate knowledge of rules and procedure of, and experience in, claims and commercial matters relating to railways.</p>	<p>(A) Selection Committee consisting for the post of the Chairman, Vice-Chairman (Judicial) or Member (Judicial):—</p> <p>(i) Chief Justice of India or his nominee- chairperson;</p> <p>(ii) Chairman or Member (Traffic) of the Railway Board- member;</p> <p>(iii) Secretary to the Government of India to be nominated by the Central Government- member;</p> <p>(iv) two experts who should have knowledge and experience of Claims and Commercial matters pertaining to Railways to be nominated by the Central Government- members.</p> <p>(B) Search-cum-Selection Committee for the post of the Vice-Chairman (Technical) or Member (Technical):—</p> <p>(i) a person to be nominated by the Central Government- chairperson;</p> <p>(ii) Chairman or Member (Traffic) of the Railway Board- member;</p> <p>(iii) Secretary to the Government of India to be nominated by the Central Government- member;</p> <p>(iv) two experts with knowledge and experience of Claims and Commercial matters relating to Railways to be nominated by the Central Government - members.</p>	Three Years	<p>Chairman- Sixty-seven years</p> <p>Vice-Chairman- Sixty-five years</p> <p>Member - Sixty-two years</p>
----	--	--	--	-------------	---

		<p>4) A person shall not be qualified for appointment as a Judicial Member, unless he, —</p> <p>(a) is, or has been, or is qualified to be, a Judge of a High Court;</p> <p>(b) has, for at least ten years, held a judicial office in the territory of India.</p> <p>(5) A person shall not be qualified for appointment as a Technical Member unless he is a person of ability, integrity and standing having special knowledge of rules and procedure of, and experience in, claims and commercial matters relating to railways of not less than twenty years.</p>			
7.	Securities Appellate Tribunal under the Securities Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992)	<p>(1) A person shall not be qualified for appointment as the Presiding Officer or a Judicial Member or a Technical Member of the Securities Appellate Tribunal, unless he, —</p> <p>(a) in the case of the Presiding Officer, is, or has been, a Judge of the Supreme Court or a Chief Justice of a High Court or a Judge of a High Court for at least seven years;</p> <p>(b) in the case of a Judicial Member, is, or has been, a Judge of a High Court for at least five years; or</p> <p>(c) in the case of a Technical Member, —</p> <p>(i) is, or has been, an Additional Secretary or Secretary in the Ministry or Department of the Central Government or any equivalent post in the Central Government or a State Government; or</p> <p>(ii) is a person of proven ability, integrity and standing having special knowledge and professional experience, of not less than fifteen years, in financial sectors including securities market or pension funds or commodity derivatives or insurance.</p> <p>(2) A Member or Part time Member of the Board or the Insurance Regulatory and</p>	<p>(A) The Presiding Officer and Judicial Member of the Tribunal shall be appointed by the Central Government in consultation with the Chief Justice of India or his nominee.</p> <p>(B) Search-cum-Selection Committee for the post of Technical Member, —</p> <p>(i) Presiding Officer, Securities Appellate Tribunal—chairperson;</p> <p>(ii) Secretary to the Government of India (Department of Economic Affairs) — member;</p> <p>(iii) Secretary to the Government of India, (Department of Financial Services) — member; and</p> <p>(iv) Secretary to the Government of India, in the Legislative Department or Department of Legal Affairs —member.</p>	Three Years	<p>Presiding Officer — Seventy years</p> <p>Member — Sixty-seven years</p>

		<p>Development Authority or the Pension Fund Regulatory and Development Authority, or any person at senior management level equivalent to Executive Director in the Board or in such Authorities, shall not be appointed as Presiding Officer or Member of the Securities Appellate Tribunal, during his service or tenure as such with the Board or with such Authorities, as the case may be, or within two years from the date on which he ceases to hold office as such in the Board or in such Authorities.</p> <p>(3) The Presiding Officer or Member of the Securities Appellate Tribunal shall be a person who does not have any financial or other interest as are likely to prejudicial affect their functions as such Presiding Officer or Member.</p>			
8	Debits Recovery Tribunal under the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 (51 of 1993)	<p>A person shall not be qualified for appointment as Presiding Officer of the Debts Recovery Tribunal, unless he—</p> <p>(a) is, or has been, or is qualified to be, a District Judge; or</p> <p>(b) is a person of ability, integrity and standing, and having special knowledge of, and professional experience of not less than twenty years in economics, business, commerce, law, finance, accountancy, management, industry, public affairs, administration, banking, debt recovery or any other matter, which in the opinion of the Central Government is useful to the Debt Recovery Tribunal.</p>	<p>Search-cum-Selection Committee for the post of Presiding Officer of the Debts Recovery Tribunal.—</p> <p>(i) Chief Justice of India or his nominee-chairperson;</p> <p>(ii) Secretary to the Government of India, Ministry of Finance (Department of Economic Affairs)- member;</p> <p>(iii) Secretary to the Government of India, Ministry of Law and Justice- member;</p> <p>(iv) Governor of the Reserve Bank or the Deputy Governor of the Reserve Bank of India nominated by the Governor of the Reserve Bank of India- member; and</p> <p>(v) Secretary to the Government of India or Additional Secretary to the Government of India, Ministry of Finance, (Department of Financial Services)- member.</p>	Three Years	Presiding Officer - Sixty-five years
9	Debits Recovery Appellate Tribunal under the Recovery of Debts Due to Banks and Financial	<p>A person shall not be qualified for appointment as Chairperson, unless he,—</p>	<p>Search-cum-Selection Committee for the Chairperson of the Debts Recovery Appellate Tribunal.—</p>	Three Years	Chairperson- Seventy years

	Institutions Act, 1993 (24 of 1993)	<p>(a) is, or has been, or is qualified to be, a Judge of a High Court; or</p> <p>(b) has been a member of the Indian Legal Service and has held a post in Grade I of that service; or</p> <p>(c) has held office as the Presiding Officer of a Debts Recovery Tribunal for at least three years.</p>	<p>(i) Chief Justice of India or his nominee- chairperson;</p> <p>(ii) Secretary to the Government of India, Ministry of Finance (Department of Economic Affairs)- member;</p> <p>(iii) Secretary to the Government of India, Ministry of Law and Justice- member;</p> <p>(iv) Governor of the Reserve Bank or the Deputy Governor of the Reserve Bank of India nominated by the Governor of the Reserve Bank of India - member; and (v) Secretary to the Government of India or Additional Secretary to the Government of India, Ministry of Finance, (Department of Financial Services)-member.</p>		
10	Airport Appellate Tribunal under the Airport Authority of India Act, 1994 (55 of 1994)	<p>A person shall not be eligible for appointment as Chairperson, unless he,—</p> <p>(a) is, or has been, or is qualified to be, a Judge of a High Court; or</p> <p>(b) is a person of ability, integrity and standing, and having special knowledge of, and professional experience of not less than twenty-five years in economics, business, commerce, law, finance, accountancy, management, industry, public affairs, administration or any other matter which in the opinion of the Central Government, is useful to the Appellate Tribunal.</p>	<p>Search-cum-Selection Committee for the post of Chairperson of Airport Appellate Tribunal,—</p> <p>(i) a person to be nominated by the Central Government- chairperson;</p> <p>(ii) Secretary to the Government of India, Ministry of Civil Aviation- member;</p> <p>(iii) Secretary to the Government of India to be nominated by the Central Government- member;</p> <p>(iv) two experts, to be nominated by the Central Government- members.</p>	Three Years	Chairperson - Sixty-two years
11	Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal under the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997)	<p>(1) A person shall not be qualified for appointment as Chairperson, unless he,—</p> <p>(a) is, or has been, or is qualified to be, a Judge of Supreme Court; or</p> <p>(b) is, or has been, Chief Justice of a High Court; or</p> <p>(c) has, for a period of not less than three years held office as Member; or</p> <p>(d) is a person of ability, integrity and standing, and having special knowledge of, and professional experience of</p>	<p>(A) Search-cum-Selection Committee for the post of the Chairperson, —</p> <p>(i) Chief Justice of India or his nominee- chairperson;</p> <p>(ii) Secretary to the Government of India, (Department of Telecommunications) - member;</p> <p>(iii) Secretary to the Government of India to be nominated by the Central Government - member;</p>	Three Years	Chairperson - Seventy years Member - Sixty-five years

		<p>not less than twenty-five years in economics, business, commerce, law, finance, accountancy, management, industry, public affairs, administration, telecommunications or any other matter which in opinion of the Central Government is useful to the Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal.</p> <p>(2) A person shall not be qualified for appointment as Member unless he is a person of ability, integrity and standing having special knowledge of, and professional experience of, not less than twenty years in economics, business, commerce, law, finance, accountancy, management, industry, public affairs, administration, telecommunications or any other matter which in opinion of the Central Government is useful to the Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal.</p>	<p>(v) two experts, to be nominated by the Central Government - members.</p> <p>(B) Search-cum-Selection Committee for the post of Member.—</p> <p>(i) a person to be nominated by the Central Government-chairperson.</p> <p>(ii) Secretary to the Government of India, (Department of Telecommunications)- member.</p> <p>(iii) Secretary to the Government of India to be nominated by the Central Government- member.</p> <p>(iv) two experts to be nominated by the Central Government- members.</p>		
12.	Appellate Board under the Trade Marks Act, 1999 (47 of 1999)	<p>(1) A person shall not be qualified for appointment as Chairman, unless he—</p> <p>(a) is, or has been, or is qualified to be, a Judge of High Court; or</p> <p>(b) has, for a period of not less than three years, held office as Vice-Chairperson of the Appellate Board</p> <p>(2) A person shall not be qualified for appointment as Vice-Chairman, unless he,—</p> <p>(a) is, or has been, or is qualified to be, a Judge of High Court; or</p> <p>(b) has, for at least two years, held the office of Judicial Member or a Technical Member, and has a degree in law with at least 12 years of practice at bar or 12 years' experience in a State Judicial Service.</p> <p>(3) A person shall not be qualified for appointment as</p>	<p>(A) Search-cum-Selection for the post of the Chairman, Vice-Chairman or Judicial Member of the Appellate Board,—</p> <p>(i) Chief Justice of India or his nominee- chairperson;</p> <p>(ii) Secretary to the Government of India, (Department of Industrial Policy and Promotion) - member;</p> <p>(iii) Secretary to the Government of India to be nominated by the Central Government-member;</p> <p>(iv) two experts, to be nominated by the Central Government- members.</p> <p>(B) Search-cum-Selection Committee for the post of Technical Member (Trade mark), Technical Member (Patent) and Technical Member (Copyright) of the Appellate Board.—</p> <p>(i) a person to be nominated by the Central Government -</p>	Three Years	<p>Chairman - Sixty-seven years</p> <p>Vice-Chairman - Sixty-five years</p> <p>Member - Sixty-five years</p>

	<p>Judicial Member, unless he, -</p> <p>(a) is, or has been, or is qualified to be a Judge of High Court; or</p> <p>(b) has, for at least ten years, held a judicial office in the territory of India.</p> <p>(4) A person shall not be qualified for appointment as Technical Member (Trademark), unless he, -</p> <p>(a) has, for at least ten years, exercised functions of a tribunal under the Trade Marks Act, 1999 (47 of 1999) and has held a post not lower than the post of Joint Registrar for at least five years and has a degree in law with at least twelve years of practice at bar or twelve years' experience in a State Judicial Service; or</p> <p>(b) has, for at least ten years, been an advocate of a proven specialized experience in trade mark law.</p> <p>(5) A person shall not be qualified for appointment as Technical Member (Patent), unless he, -</p> <p>(a) has, for at least five years, held the post or exercised the functions of the Controller under the Patents Act, 1970 (39 of 1970); or</p> <p>(b) has, for at least ten years, functioned as a registered patent agent and possesses a degree in engineering or technology or a master's degree in science from any University established under law for the time being in force.</p> <p>(6) A person shall not be qualified for appointment as Technical Member (Copyright), unless he, -</p> <p>(a) is, or has been a member of the Indian Legal Service and is holding, or has held a post in Grade I of that Service for at least three years; or</p> <p>(b) has, for at least ten years, held a judicial office in the territory of India; or</p> <p>(c) is, or has been a member of a Tribunal or Civil Service not</p>	<p>chairperson,</p> <p>(ii) Secretary to the Government of India, (Department of Industrial Promotion and Policy) -member;</p> <p>(iii) Secretary to the Government of India to be nominated by the Central Government - member;</p> <p>(iv) two experts to be nominated by the Central Government - members.</p>	
--	--	---	--

		<p>below the rank of a Joint Secretary to the Government of India with three years' experience in the field of Copyright; or</p> <p>(d) has, for at least ten years, been an advocate of a proven specialized experience in Copyright Law;</p> <p>Provided that at least one member of the Appellate Board for purposes of the Copyright Act shall have qualification as in (a), (b) or (d) above.</p>			
13	National Company Law Appellate Tribunal under the Companies Act, 2013 (18 of 2013).	<p>(1) The Chairperson shall be a person who is or has been a Judge of the Supreme Court or the Chief Justice of a High Court.</p> <p>(2) A Judicial Member shall be a person who is or has been a Judge of a High Court or is a Judicial Member of the National Company Law Tribunal for five years.</p> <p>(3) A Technical Member shall be a person of proven ability, integrity and standing having special knowledge and professional experience, of not less than twenty-five years, in law, industrial finance, industrial management or administration, industrial reconstruction, investment, accountancy or any other matter which in the opinion of the Central Government is useful to the National Company Law Appellate Tribunal.</p>	<p>(A) The Chairperson of the Appellate Tribunal shall be appointed after consultation with the Chief Justice of India.</p> <p>(B) Search-cum-Selection Committee for the post of the Judicial Member and Technical Member of the Appellate Tribunal, -</p> <p>(i) Chief Justice of India or his nominee -chairperson;</p> <p>(ii) a senior Judge of the Supreme Court or a Chief Justice of a High Court-member;</p> <p>(iii) Secretary to the Government of India, Ministry of Corporate Affairs- member;</p> <p>(iv) Secretary to the Government of India, Ministry of Law and Justice-member.</p>	Three Years	<p>Chair-Person- Seventy years</p> <p>Member - Sixty-seven years</p>
14	Authority for Advance Ruling, under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961)	<p>A person shall be qualified for appointment as.—</p> <p>(a) Chairman, who—</p> <p>(i) is, or has been, or is qualified to be, a Judge of the Supreme Court; or</p> <p>(ii) is or has been a Chief Justice of a High Court; or</p> <p>(iii) has, for at least seven years, been a Judge of a High Court; or</p> <p>(iv) has, for at least three years, been a Vice-Chairman, Revenue Member or Law Member of the Authority for Advance Ruling; or</p>	<p>(A) Search-cum Selection Committee for the post of Chairman and Vice-Chairman, -</p> <p>(i) Chief Justice of India or a Judge of the Supreme Court of India as nominated by the Chief Justice of India - chairperson;</p> <p>(ii) Secretary to the Government of India (Department of Revenue) -member;</p> <p>(iii) Secretary to the Government of India (Department of Legal Affairs) - member;</p>	Three Years	<p>Chairman- Seventy years; Vice-Chairman- Sixty-five years</p> <p>Member - Sixty-two years.</p>

		<p>(v) is a person of ability, integrity and standing, and having special knowledge of, and professional experience of not less than twenty-five years in economics, business, commerce, law, finance, accountancy, management, industry, public affairs, administration, taxation or any other matter which in the opinion of the Central Government is useful to the Authority.</p> <p>(b) Vice-chairman, who is, or has been, or is qualified to be, a Judge of a High Court;</p> <p>(c) Revenue Member from the Indian Revenue Service who is qualified to be a Member of the Central Board of Direct Taxes Board and an officer of the Indian Customs and Central Excise Service, who is qualified to be a Member of the Central Board of Excise and Customs;</p> <p>(d) Law Member from the Indian Legal Service, who is an Additional Secretary to the Government of India.</p>	<p>(iv) Secretary to the Government of India (Department of Personnel and Training) - member.</p> <p>(B) Search-cum-Selection Committee for the post of Member. -</p> <p>(i) Cabinet Secretary - chairperson;</p> <p>(ii) Secretary to the Government of India, (Department of Personnel and Training) - member;</p> <p>(iii) Secretary to the Government of India, (Department of Revenue) - member;</p> <p>(iv) two Secretaries to the Government of India to be nominated by the Central Government - members.</p>		
15.	Film Certification Appellate Tribunal under the Cinematograph Act, 1952 (37 of 1952)	<p>(1) A person shall not be qualified for appointment as Chairman, unless he. -</p> <p>(a) is, or has been, or is qualified to be, a Judge of a High Court; or</p> <p>(b) has, for a period of not less than three years, held office as member; or</p> <p>(c) is a person of ability, integrity and standing, and having special knowledge of, and professional experience of not less than twenty-five years in, law, management, industry, public affairs, administration, films or any other matter which in the opinion of the Central Government, is useful to the Appellate Tribunal.</p> <p>(2) The Central Government may appoint such persons; who, in its opinion, or qualified to judge the effect of films on the public, to be a member of the Appellate Tribunal.</p>	<p>Search-cum-Selection Committee for post of the Chairman and member of the Appellate Tribunal. —</p> <p>(i) a person to be nominated by the Central Government-chairperson;</p> <p>(ii) Secretary to the Government of India, Ministry of Information and Broadcasting-member;</p> <p>(iii) Secretary to the Government of India to be nominated by the Central Government-member;</p> <p>(iv) two experts to be nominated by the Central Government-members.</p>	Three Years	<p>Chairman - Sixty-seven years</p> <p>Member - Sixty-five years</p>

16.	National Consumer Disputes Redressal Commission under the Consumer Protection Act, 1986 (68 of 1986)	<p>(1) A person shall not be qualified for appointment as President, unless he—</p> <p>(a) is, or has been, or is qualified to be, a Judge of the Supreme Court, or</p> <p>(b) is, or has been, Chief Justice of a High Court; or</p> <p>(c) has, for a period not less than three years, held office of Member or Judicial Member, or</p> <p>(d) is a person of ability, integrity and standing, and having special knowledge of, and professional experience of not less than twenty-five years in economics, business, commerce, law, finance, accountancy, management, industry, public affairs, administration or any other matter which in the opinion of the Central Government, is useful to the National Consumer Disputes Redressal Commission.</p> <p>(2) A person shall not be qualified for appointment as Member unless he is a person of ability, integrity and standing, and having special knowledge of, and professional experience of not less than twenty years in economics, business, commerce, law, finance, accountancy, management, industry, public affairs, administration or any other matter which in the opinion of the Central Government, is useful to the National Consumer Disputes Redressal Commission.</p> <p>Provided that a person shall not be appointed as a Judicial Member, unless he—</p> <p>(a) is, or has been, or is qualified to be, a Judge of a High Court;</p> <p>(b) has, for at least ten years, held a Judicial office in the territory of India.</p>	<p>(A) The President shall be appointed by the Central Government after consultation with the Chief Justice of India.</p> <p>(B) Search-cum-Selection Committee for the post of member,—</p> <p>(i) a person who is a Judge of the Supreme Court, to be nominated by the Chief Justice of India—chairperson;</p> <p>(ii) Secretary to the Government of India, Ministry of Law and Justice (Department of Legal Affairs) — member;</p> <p>(iii) Secretary to the Government of India, Ministry of Consumer Affairs — member;</p> <p>(iv) two experts to be nominated by the Central Government — members.</p>	Three Years	President — Seventy years Member— Seventy years
17.	Appellate Tribunal for Electricity under the Electricity Act, 2003 (26 of 2003)	<p>(1) A person shall not be qualified for appointment as Chairperson of the Appellate Tribunal, unless he—</p>	<p>(A) Search-cum-Selection Committee for the post of Chairperson and Judicial Member of the Appellate</p>	Three Years	Chairperson— Seventy years

		<p>(a) is, or has been, or is qualified to be, a Judge of Supreme Court or</p> <p>(b) is, or has been, Chief Justice of a High Court, or</p> <p>(c) has, for a period of not less than three years, held office of Judicial Member, or Technical member, or</p> <p>(d) is a person of ability, integrity and standing, and having special knowledge of, and professional experience of not less than twenty-five years in economics, business, commerce, law, finance, accountancy, management, industry, public affairs, administration or any other matter which in the opinion of the Central Government is useful to Appellate Tribunal.</p> <p>(2) A person shall not be qualified for appointment as Judicial Member, unless, he—</p> <p>(a) is, or has been, or is qualified to be, a Judge of a High Court, or</p> <p>(b) has, for at least ten years, held a judicial office in the territory of India.</p> <p>(3) A person shall not be qualified for appointment as Technical Member unless he is a person of ability, integrity and standing having special knowledge of, and professional experience of, not less than twenty years in matters dealing with electricity generation, transmission, distribution, regulation, economics, business, commerce, law, finance, accountancy, management, industry, public affairs, administration or in any other matter which in the opinion of the Central Government is useful to the Appellate Tribunal.</p>	<p>Tribunal.—</p> <p>(i) Chief Justice of India or his nominee-chairperson;</p> <p>(ii) Secretary to the Government of India, Ministry of Power- member;</p> <p>(iii) Secretary to the Government of India to be nominated by the Central Government- member;</p> <p>(iv) two experts, to be nominated by the Central Government-members.</p> <p>(B) Search-cum-Selection Committee for the post of the Technical Member of the Appellate Tribunal.—</p> <p>(i) a person to be nominated by the Central Government-chairperson;</p> <p>(ii) Secretary to the Government of India, Ministry of Power- member;</p> <p>(iii) Secretary to the Government of India to be nominated by the Central Government- member;</p> <p>(iv) two experts to be nominated by the Central Government-members.</p>		<p>Member- Sixty-five years</p>
18.	Armed Force Tribunal under the Armed Forces Act, 2007 (55 of 2007).	<p>(1) A person shall not be qualified for appointment as Chairperson, unless, he -</p> <p>(a) is, or has been, or is qualified to be a Judge of Supreme Court or,</p>	<p>(A) The Chairperson of the Armed Forces Tribunal shall be appointed by the Central Government in consultation with Chief Justice of India.</p>	<p>Three Years</p>	<p>Chairperson- Seventy years</p> <p>Member- Sixty-five years</p>

		<p>(b) is or has been a Chief Justice of a High Court.</p> <p>(2) A person shall not be qualified for appointment as Judicial Member unless he is, or has been, a Judge of a High Court.</p> <p>(3) A person shall not be qualified for appointment as Administrative Member, unless he, -</p> <p>(a) he has held or he has been holding the rank of Major General or above for a total period of at least three years in the Army or equivalent rank in the Navy or the Air Force; or</p> <p>(b) he has served for not less than one year as Judge Advocate General in the Army or the Navy or the Air Force, and is not below the rank of Major General, Commodore and Air Commodore respectively; or</p> <p>(c) he is a person of ability, integrity and standing having special knowledge of, and professional experience of not less than twenty years in, economics, business, commerce, law, finance, accountancy, management, industry, public affairs, administration or in any other matter which in the opinion of the Central Government, is useful to the Armed Forces Tribunal.</p>	<p>(B) Search-cum-Selection Committee for the post of Vice-Chairperson, Judicial Member, or Administrative Member of Armed Forces Tribunal, -</p> <p>(i) a sitting Judge of Supreme Court to be nominated by Chief Justice of India or Chairman, Law Commission of India- chairperson;</p> <p>(ii) Chairperson, Armed Forces Tribunal - member;</p> <p>(iii) two Secretaries to Government of India including Defence Secretary-members.</p>		
19.	National Green Tribunal under the National Green Tribunal Act, 2010 (19 of 2010)	<p>(1) A person shall not be qualified for appointment as Chairperson, unless he, -</p> <p>(a) is, or has been, or is qualified to be, a Judge of Supreme Court; or</p> <p>(b) is, or has been, Chief Justice of a High Court; or</p> <p>(c) has, for a period of not less than three years, held office as Judicial Member or Expert Member; or</p> <p>(d) is a person of ability, integrity and standing, and having special knowledge of, and professional experience of not less than twenty-five years in law including five years' practical experience in the</p>	<p>(A) Search-cum-Selection Committee for the post of the Chairperson or Judicial Member of the National Green Tribunal. -</p> <p>(i) Chief Justice of India or his nominee-chairperson;</p> <p>(ii) Secretary to the Government of India, Ministry of Environment, Forests and Climate Change-member;</p> <p>(iii) Secretary to the Government of India to be nominated by the Central Government-member;</p> <p>(iv) two experts, to be nominated by the Central Government-members.</p>	Three Years	Chairperson- Seventy years Member- Sixty-seven years

	<p>field of environment and forests</p> <p>(2) A person shall not be qualified for appointment as Judicial Member, unless he, —</p> <p>(a) is, or has been, or is qualified to be, a Judge of a High Court; or</p> <p>(b) has, for at least ten years, held a judicial office in the territory of India.</p> <p>(3) A person shall not be qualified for appointment as Expert Member, unless he, -</p> <p>(a) has a degree, Post-graduation degree, Doctorate Degree in Science and has an experience of twenty years in the relevant field including five years' practical experience in the field of environment and forests (including pollution control, hazardous substance management, environment impact assessment, climate change management, biological diversity management and forest conservation) in a reputed National level institution; or</p> <p>(b) has administrative experience of twenty years including experience of five years in dealing with environmental matters in the Central Government or a State Government or in a reputed National or State level institution.</p>	<p>(B) Search-cum-Selection Committee for the post of the Expert Member of the National Green Tribunal. —</p> <p>(i) a person to be nominated by the Central Government -chairperson;</p> <p>(ii) Secretary to the government of India, Ministry of Environment, Forests and Climate Change -member;</p> <p>(iii) Secretary to the Government of India to be nominated by the Central Government -member;</p> <p>(iv) two experts, to be nominated by the Central Government -members.</p>	
--	--	--	--

[F. No. A.50050/9/2016-CESTAT Pt-1]

UDAI SINGH KUMAWAT, Jt. Secy.

RAKESH SUKUL

Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2017.06.07 22:12:07 +05:30

Annexure-II

CHECK-LIST OF DOCUMENTS TO BE SENT WITH THE APPLICATION

Name of the Officer: _____

Sl No.	Document	Status of enclosure of document Y - Yes N - No NA - Not Applicable
1	Copies of Annual Confidential Reports/Performance Appraisal Reports of the officer during the last five years	
2	Vigilance clearance (if applicable) of the officer	
3	Integrity certificate of the officer	
4	Annexure-III (Proforma for Bio-Data of the Officer)	
5	Annexure-IV (Proforma for ACR/APAR Grading for the last five years of the Officer)	

(Sign and Seal of the sponsoring Authority)
Not below the rank of Deputy Secretary/Director

PROFORMA FOR BIO-DATA

(to be filled by the applicant)

1.	Name (in full)			
2.	Date of Birth & age			
3.	Office and Residential address with telephone number, fax, e-mail, if any			
4.	Educational Qualification (graduation and onwards)			
5.	Examination	University	Year in which passed	Division
i.				
ii.				
iii.				
iv.				
6.	Service to which the applicant belongs/belonged (with cadre, batch, and name of the Cadre Controlling Authority), if applicable.			
7.	In case of serving officers			
i.	Date of Joining Service			
ii.	Present Designation			
iii.	Scale of Pay and Basic Pay			
iv.	Date of Superannuation			
8.	In case of retired officers			
i.	Date of superannuation			
ii.	Last post held			
iii.	Last pay scale			

9	Relevant experience (Minimum 20 years in the areas of economics, business, commerce, law, finance, accountancy, management, industry, public affairs, administration (in descending order of chronology) in case of non-judicial officers.			
Sl. No.	Position held	Name and address of the Organisation	Period (From - To)	Nature of work handled
IV.				
V				
10	Any other accomplishments/information, the candidate may like to furnish			
11	Does the candidate have more than one living spouse?		Yes/No	
12	Does the candidate attract any of the disqualification criteria listed in the vacancy circular?		Yes/No (if yes please give details)	
13	State of health			
14	Are copies of best five judgements/other judicial orders passed by the candidate enclosed?			
15	Details of office in which the last five ACRs will be available including details of last employer (in case of retired officials):			

Date:

Place

Signature:

Place